भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी)
की केन्द्रीय कमेटी का मुखपत्र

प्रतिरोध का स्वर

1 मई 2020 वर्ष 34 संख्या 5 मूल्य 2 रुपये

कठिनाईयों का समय बढ़ाया गया

तीसरी बार प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस के खतरे पर देशवासियों को संबोधित किया और तीसरी बार वे अपनी नीतियों में देश की बहुसंख्यक जनता के लिए कोई चिंता अभिव्यक्त करने में विफल रहे। जनता कोरोना वायरस के फैलने से पैदा हुई घबराहट की तुलना में सरकार द्वारा थोपे गये उपायों से कहीं ज्यादा पीड़ित है। तीनों भाषणों में उन्होंने खुद का ध्यान रखने की जिम्मेदारी लोगों पर ही छोड़ दी, और अपनी सरकार को और उसका समर्थन करने वाले कारपोरेट को जिम्मेदारी से मुक्त रखा। आरएसएस-भाजपा सरकार ने इस तरह से उस जनता से, जिसकी सेवा करने का वह दावा करती है, लम्बी राजनीतिक दूरी बना ली है।

बिना किसी काम और बिना पैसे और भूखे छोड़े गये, छोटे-छोटे घरों से, जिनमें रहकर उन्हें शारीरिक दूरी बनाए रखनी थी, आवास के मालिकों द्वारा बाहर निकाले गये, ये मजदूर जो अपने घरों से हजारों मील दूर आकर काम कर रहे थे, ताकि उनके परिवार जी सकें, आज एक दुःस्वप्न से गुजर रहे हैं। पर प्रधानमंत्री ने लाकडाउन को गैर-जरूरी ढंग से उन्नीस दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। जाहिर है, कोई प्रबंध नहीं किया, एक शब्द भी इस बारे में नहीं बोला कि इस दौर को वे कैसे काटेंगे। मजदूर हजारों मील दूर अपने घर वापस जाना चाहते हैं, इसलिए नहीं कि वहां कोई महल या शाही स्वागत उनका इंतजार कर रहा है, बल्कि सिर्फ इसलिए कि एक परायी भूमि में बिना सहयोग के भूखे रहने और मरने में दो गुना दर्द महसूस होता है। ऐसी भूमि जो परायी बना दी गई है, हालांकि देश में एकता और अखंडता की बात की जाती है। यह एक ऐसा दर्द है जो दुनिया भर में घूमने वाले अमीर महसूस नहीं कर सकते। शासकों ने इस बात का दोष भी इन्हीं पर मढ़ दिया, कि इन्हें घर की याद आ रही है, जबकि समस्या पेट की है। वे मजूदरों के अनुशासनहीन व्यवहार को दोष दे रहे हैं, जिससे सम्पन्न और लालची लोगों के सुख चैन में खलल पैदा हो रहा है। शासकों की नजर में वे क्यों वहीं नहीं रह सकते जहां वे हैं, हो सकता है भोजन और आश्रय ना हो, पर क्या राष्ट्र के लिए यह बलिदान बहुत ज्यादा है ! शासकों को भोजन और आश्रय के लिए इनकी तड़प नहीं समझ आ पा रही है, गांवों में रह रहे इनके परिवार के सदस्यों की देखभाल का प्रश्न समझना तो बहुत दूर की बात है। वे समझते हैं कि ये मायामोह के कारण अज्ञानता का परिचय दे रहे हैं। और इसके साथ यह भी शिकायत है कि जो भोजन दिया जा रहा है, वह सड़ा हुआ अपर्याप्त मात्रा में है ! भिखारी भी आंख दिखाने लगे हैं !श

जिस मौत के तरीकों के बीच चयन की दुविधा में ये प्रवासी श्रमिक फंसे हैं, उसमें चयन हमेशा ही मुश्किल होता है - पर हां, इन सभी में अब पंथ, लिंग और जाति में कोई भेद नहीं है, कम से कम यहां तो संवैधानिक जनादेश का पालन हो रहा है। लंबी दूरी पर अपने घरों को लौटने की संभावना की एक झलक उन्हें दिखी तो वे परिवहन के साधनों की ओर भाग निकले। मुंबई, सूरत, दिल्ली में लाखों लोग रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर एकत्र हो गये, सिर्फ इसलिए ताकि निश्चित कठिनाईयों से मुक्ति मिल सके, शायद मौत से भी और इसके लिए वे अनिश्चित आशंकाओं का जोखिम उठाने को तैयार थे। शासकों के पास इन कृतघ्न प्राणियों पर पुलिस और सुरक्षा बलों का प्रहार कराने के अलावा, वह भी इनके स्वयं के भले के लिए, और क्या विकल्प था ! ये, ऐसे कठोर निर्णय हैं, जो 'लोकतंत्र' इन शासकों को लेने के लिए मजबूर करता है, हालांकि इन शासकों के दिल और पेट सहानुभूति से पूरी तरह से भरे हुए हैं।

भारतीय शासकों ने सबसे कठोर लॉकडाउन लागू करने की 'प्रतिष्ठा' अर्जित की है, वह भी इतने व्यापक पैमाने पर - *130* करोड़ लोगों पर। कई लोग इसे एक आवश्यक बुराई मान रहे हैं, मानो इस नोवेल कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने का और कोई अन्य तरीका ही नहीं था; मानो पुलिस के डंडा दिखाने के अलावा लोगों से शारीरिक दूरी बनवाने का और कोई तरीका ही नहीं था। ऐसे अमानवीय प्रवर्तन के बहुत कम उदाहरण हैं। जो लोग इससे बख्शे हुए हैं, वे प्रशंसा के गीत गा रहे हैं; जो इसके शिकार हैं, उनकी आवाज ही नहीं है। जो लोग पैदल यात्रा करते समय मर गये, उनके अलावा, एक अनिर्दिष्ट बड़ी संख्या भूख के कारण मारी जा चुकी है। इनमें वे लोगश्शामिल नहीं हैं जो स्वास्थ्य सेवाओं की अनुपलब्धता के कारण, अस्पतालों में नहीं पहुंच पाने के कारण या वे जो पहुँच गये पर इस वजह से लौटा दिये गये कि वे कोरोना मामले नही हैं, मर गये हैं। सरकार के इन मूर्खतापूर्णेकामों के कारण म तकों की संख्या कोरोना से मरने वालों की तुलना में बहुत अधिक हो सकती है।

जिस तरह से भारत सरकार ने इस प्रकोप को नियंत्रित

किया है, यह दिखाता है सरकार देश की वास्तविकता से पूरी तरह से कटी हुई है। सरकार के कदमों को संकलित करके, भविष्य में क्या नहीं करना है, इसकी सूची बनाई जा सकती है। यह वायरस विदेश से भारत आया और इसने आने में देर लगाई, संभवतः भारतीय परिवहन व्यवस्था की तरह। केरल से *30* जनवरी को पहला मामला सामने आया और पूरे फरवरी में मामले बहुत कम रहे। भारत सरकार के पास तैयारी पूरी करने के लिए पर्याप्त समय था। परन्तु यह कीमती समय शाहीनबाग की महिलाओं को इलेक्ट्रानिक झटके देने में गंवां दिया गया। हालांकि, इस सांप्रदायिक फासीवादी एजेंडे के अलावा, इसका एक और भी कोण है। यही वह समय था जब अमेरिका और ब्रिटेन के शासक, ट्रम्प और जॉनसन, कोरोना के खतरे की बात को बकवास बता रहे थे। मोदी भी इन सम्मानित मित्रों के साथ खड़े थे। ट्रम्प के स्वागत के लिए गुजरात में दसियों हजार लोग इकट्ठे किये गये। ट्रम्प और जॉनसन सहित उनके सहयोगी उस समय चीनी शासकों की दिक्कतों के चलते बहुत खुश नजर आ रहे थे, क्योंकि कोरोना ने पहले वहां महामारी फैलायी थी।

लेकिन जल्द ही पश्चिमी देशों को इसका प्रकोप प्रभावित करने लगा। जल्द ही, इटली, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन संक्रमितों और मौतों के मामले में चीन से आगे निकल गए। अतिमहाशक्ति होने के दर्जे के अनुरूप अमेरिका इस सूची में सबसे ऊपर पहुंच गया। जब वायरस पश्चिमी देशों में फैला, तो मोदी सरकार बुरी तरह घबरा गयी। उसने पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की, पर म.प्र. में सरकार के शपथग्रहण के लिए दो दिनों का समय दिया। इसकी लापरवाही भरी घोषणा के कारण जनता में बहुत ज्यादा घबराहट फैल गयी और इसने राजधानी दिल्ली सहित शहरों में व्यापक अराजकता को जन्म दिया। लॉकडाउन का प्रकार भारत के किसी भी वैज्ञानिक निकाय की सिफारिश पर आधारित नहीं था। बल्कि यह कुछ पश्चिमी देशों में जो कुछ किया जा रहा था, उसकी एक खराब नकल थी, जाहिर तौर पर भारत में पुलिस की सख्ती और कानून की कड़ाई के साथ। भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य संघ (IPHA) और इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन (IAPSM) द्वारा संयुक्त रूप से जारी एक बयान में ऐसा कहा ही गया, '*25* मार्च, *2020* से तीन सप्ताह के लिए भारत में घोषित अभूतपूर्व राष्ट्रव्यापी 'लॉकडाउन', स्पष्ट रूप से, अन्य देशों के कुछ विशिष्ट संदर्भों के प्रारूपों के अनुभवों और महामारी विज्ञान के सबूतों पर आधारित है' (*11* अप्रैल, *2020* को जारी)। सामुदायिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों के इन दो प्रमुख निकायों ने इस कदम के विदेशी स्रोत और इस तथ्य को स्पष्ट किया कि भारतीय वैज्ञानिकों से इस उपाय की घोषणा करने से पहले या *14* अप्रैल को इसको बढ़ाये जाने की घोषणा करने से पहले, सलाह तक नहीं ली गई थी। वे अपने चयन, पदोन्नति और उन पदों पर बने रहने की जरूरतों के चलते बोलने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। यह अविश्वसनीय, लेकिन सत्य है, कि प्रमुख चिकित्सा अनुसंधान निकाय ICMR ने सिर की चोट के रोगियों पर महाम त्युंजय जाप की प्रभावकारिता पर अध्ययन को मंजूरी दी थी।

सरकार के पास तैयारी के लिए पर्याप्त समय था, जिसका उपयोग नहीं किया गया। न तो परीक्षण किट तैयार किए गए और न ही सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत किया गया। बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं पर केंद्रीय बजट को प्रभावी ढंग से कम किया गया था। इतनी लापरवाही थी कि प्रभावित लोगों की जरूरतों से निपटने के लिए आवश्यक स्वास्थ्य उपकरणों का निर्यात *23* मार्च तक जारी था। भारत सरकार शासक वर्ग की राजनीति और उसके एजेंडे को आकार देने में विदेशी पूंजी और उनके देसी दलालों की भूमिका को पूरी तरह से समझती है। इसलिए, यह भारतीय लोगों की जरूरतों की तुलना में साम्राज्यवादी शक्तियों के हुकुम के प्रति अधिक संवेदनशील है। हाइड्राक्सीकोलोरोक्विन के निर्यात पर लगाये गये प्रतिबंध के *48* घंटे के भीतर हटा लेना, मानवीय चिंताओं के प्रति संवेदना उभरने और फैसले को उलटने में ट्रम्प की धमकी की भूमिका और भारत के लिए भेजे गये चिकित्सा आपूर्ति को अमेरिका के लिए मोड़ा जाना, इन सभी ने भारतीय शासकों के अधीनस्थ चरित्र को उजागर किया है। कोरोना इसमें कोई सेंध नहीं लगा सका है।

स्वास्थ्य सेवा कर्मियों की सुरक्षा के लिए परीक्षण और उपकरणों के लिए किट की व्यवस्था करने के लिए काफी लंबी अवधि उपलब्ध थी, पर इसको गंवां दिया गया। भारत सरकार के प्रवक्ताओं और इसके वैज्ञानिक सलाहकारों द्वारा डींगें हांकी जा रही है। ये जानते हुए कि उन्हें अपना पद विज्ञान के लिए कम और ज्यादा चाटुकारिता के कारण मिला है, सच बात यही है कि परीक्षण किटों की स्पष्ट रूप से कमी है। यहां परीक्षण की कम संख्या सुस्पष्ट है, हालांकि कमी को ढंकने के लिए उन्होंने परीक्षण मानदंडों को ही नीचे कर दिया है। *14* अप्रैल, *2020* तक केवल *2,00,000* परीक्षण किए गए थे यानी लगभग *0.15* फीसदी जनसंख्या पर। अमेरिका द्वारा, जिसकी आबादी हमारे देश की एक चौथाई है, अब तक *30* लाख परीक्षण किये गये हैं और इटली जिसकी जनसंख्या हमारी आबादी का एक बटे पच्चीस है, *10* लाख परीक्षण किए गए। यह उल्लेखनीय है कि सार्वजनिक क्षेत्र की एक कंपनी ने संकट की शुरुआत में ही परीक्षण किट बनाने की पेशकश की थी, पर इसे सरकार ने स्वीकार नहीं किया। अब, जैसा कि वायदा किये गये आयात अमेरिका के लिए मोड़ दिये गये हैं, संभवतः वही कम्पनी एंटी बॉडी परीक्षण किट बनाएगी, पर दो सप्ताह देर से, जबकि एक-एक दिन कीमती है।

पीपीई उपलब्ध कराने में सरकार का प्रदर्शन उतना ही निराशाजनक है। सरकार इस 'लड़ाई' में स्वास्थ्य कर्मियों को सैनिकों के समकक्ष बता रही है लेकिन न्यूनतम आवश्यक हथियार के बिना उन्हें इसमें झोंक रही है। क्या यह इतना मुश्किल था? हर्गिज नहीं। कई कम्पनियों ने इन्हें बनाने की पेशकश की, लेकिन मुनाफा कमाने वालों की सरकार इस अवसर को कैसे गवां सकती थी। अब भी यह बहुत कम समय में किया जा सकता है यदि सरकार अपने कारपोरेट दोस्तों के बजाय लोगों को बचाने के लिए संसाधनों का आबंटन करे। सरकार द्वारा कोरोना से लड़ने के लिए लोगों के लिए किया गया आबंटन उनके कारपोरेट दोस्तों को दिए गए सहयोग की तुलना में बहुत कम है। कोरोना उन्हें अभी तक पूरे ढंग से डराने में सक्षम नहीं हुआ। या तो यह राजनैतिक इच्छाशक्ति की कमी है या यह विश्वास है कि डंडा चमत्कार कर सकता है। अधिकारियों और सरकार द्वारा डाक्टरों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारियों को परेशान किया जा रहा है और धमकाया जा रहा है (यहां तक कि निलंबित भी)। क्यों? क्योंकि वे पीपीई की मांग कर रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मियों की रक्षा के लिए तब भी कोई कदम नहीं उठाया गया, जब ये भ्रामक सार्वजनिक धारणा बन गयी कि ये कर्मी कोरोना के स्रोत हैं। यह धारणा सरकार द्वारा फैलाई गई घबराहट के कारण उत्पन्न हुई थी और लोगों को यह

विश्वास हो गया कि सरकार उनकी मदद करने के लिए कुछ भी नहीं करेगी। संभवतः आरएसएस-भाजपा सरकार को चिकित्सा कर्मियों पर इन हमलों में कुछ भी ऐसा नहीं मिला है जिसका सांप्रदायिक वायरस फैलाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अजय सिंह बिष्ट, इन पर तब तक कोई कार्रवाई नहीं करते जब तक कि सांप्रदायिक मोड़ की गुंजाइश न हो।

लेकिन आरएसएस-भाजपा की कोरोना के समय में भी अपने सांप्रदायिक वायरस को फैलाने की मुहिम तेजी से चल रही है। मुसलमानों को चुनिंदा रूप से प्रसार के लिए दोषी ठहराया जा रहा है; संक्रमण के लिए दोषी पाए जाने वाले लोगों के अन्य समुदायों होने पर उसका नाम भी नहीं लिया जाता है। यह प्रचार मुस्लिम विक्रेताओं पर किये गए हमलों से और बढ़ा है। गुजरात मॉडल ने इसमें एक नया योगदान किया है। अलग समुदायों के रोगियों को अलग-अलग वार्डों में भर्ती कर, पूरे मामले को नए स्तर पर ले जाया गया है।

प्रधानमंत्री ने वैक्सीन बनाने में आगे बढ़ने के लिए वैज्ञानिकों, विशेष रूप से युवा वैज्ञानिकों, से अपील की है। इसमें कोरोना को इस बात का स्पष्ट श्रेय दिया जा सकता है, कि, कम से कम सत्ता में बैठे कुछ ऐसे लोगों को उसने चुप करा दिया है, जो चिकित्सा विज्ञान के प्राचीन गौरव पर विश्वास व्यक्त करते हुए वर्तमान चिकित्सा विज्ञान को महत्वहीन नजरिये से पेश करते थे। निःसंदेह वैज्ञानिक अनुसंधान को पूरी तरह व्यर्थ समझते हुए वर्तमान शासकों ने वैज्ञानिक अनुसंधान पर बजट में कटौती की थी और जहां बजट था भी उसे वैज्ञानिकों के लिए दुर्गम बना दिया था। अब अचानक मोदी ने भारतीय वैज्ञानिकों को याद किया है। लेकिन श्ह हाथ पर सरसों उगाने जैसा है। ऐसे में इस बात को कोई सुनिश्चित नहीं कर सकता कि यह बदलाव कोरोना महामारी के बाद तक चलेगा।

लंबे समय से कमजोर किये जाने के बाद भी सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाएं मुख्य जिम्मेदारी निभा रही हैं। कोरोना के प्रकोप ने उन्हें मजबूत करने की आवश्यकता को रेखांकित किया है। लेकिन आरएसएस-भाजपा सरकार उस दिशा में देखने के लिए भी तैयार नहीं है। कोरोना से निपटने के उद्देश्य से निजी स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों को सरकार के अधीन लाने का कोई प्रयास नहीं किया गया है जैसा कि कई देशों में किया गया है।

भारत को लाकडाउन में झोंकने के बाद आरएसएस-भाजपा शासकों को तंत्र को फिर से खोलना ही होगा। वे लोगों की जरूरतों को पूरा करने की कोई इच्छा नहीं रखते, लॉकडाउन का निष्पादन इसका पर्याप्त सबूत है। लेकिन वे पहले की तरह लोगों को काम पर वापस जाने की अनुमति नहीं देंगे। शासक इसमें भी अपनी कीमत जरूर वसूल करेंगे। अब कोरोना इसके लिए उनका संवाहक बन रहा है। काम का दिन बढ़ाकर *12* घंटे करने का प्रस्ताव पहले से ही तैयार कर रखा है। अब अध्यादेश के माध्यम से मजदूरों के अधिकारों को नियंत्रित करने के लिए मजदूर विरोधी कोड लाने की बात है। कॉरपोरेट के मुनाफे को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है ताकि वे अपने राजनीतिक प्रतिनिधियों की जेबें भर सकें।

रिपोर्टो के अनुसार मनरेगा में काम मात्र *1* फीसदी हुआ है। कोई भुगतान नहीं किया जा रहा है। सरकार यह दावा करती रही है कि इसने सभी लोगों के लिए खाते खोल दिये हैं। अब वह सभी को मजदूरी, क्षतिपूर्ति और निर्वाह निधि के भुगतान के लिए इसका उपयोग क्यों नहीं करती? एमएसपी में सभी कृषि उत्पादों की खरीद क्यों नहीं की जा रही है और महामारी के बोझ को हल्का करने के लिए बोनस क्यों नही दिया जा रहा?

कोरोना का एक बड़ा रहस्योद्घाटन यह हुआ है कि जो सरकार अब तक अपने को उभरती महाशक्ति के रूप में पेश कर रही थी, एकाएक गरीब होने की शिकायत करने लगी है। यह लोगों को मजदूरी प्रदान करने में सक्षम नहीं है (यह उन कंपनियों पर ही छोड़ दिया, जो हर कोई जानता है, वह नहीं करेंगी), श्रमिकों के मकान के किराए का भुगतान नहीं किया जा रहा है (जो घर के मालिकों पर छोड़ दिया है, यह जानते हुए कि वे क्या करेंगे)। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब कारपोरेट पर लाभ की बौछार करने का सवाल उठेगा, वे भारत की सम द्धता को एक बार फिर ढूंढ निकालेंगे। फिलहाल वे सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कटौती कर रहे हैं, केवल कहने के लिए उनसे लिया जा रहा योगदान स्वैच्छिक है। जहां विदेशों में सरकारों ने खर्च बढ़ा दिया है मोदी सरकार लोगों से पैसा वसूल रही है जबकि कारपोरेट की अति विशाल संपत्ति को छुआ तक नहीं गया है।

पर इस बीच लोगों की समस्याएं गुणात्मक रूप से बढ़ गई हैं और इसलिए उनकी शिकायत की अभिव्यक्ति का दायरा बढ़ गया है। शासकों ने कोरोना के डर को लोगों के संघर्षों के दिलोदिमाग में घुसाने के लिए सब कुछ किया है। जानबूझकर तोड़ मरोड़ कर भय को बढ़ाया जा रहा है ताकि लोगों को निष्क्रिय किया जा सके और सरकार को उन्हें दबाने की पूरी छूट मिल सके। जबकि सरकार ने किसी भी और हर सभा पर प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन लोगों को जेलों में तेजी से इकट्ठा किया जा रहा है, यहां तक कि उन कथित अपराधों के लिए भी जो बाद में निपटाए जा सकते हैं। इस महामारी ने सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को भी प्रेरित नहीं किया है कि वह राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दे।श्शायद सरकार ने जेलों को कोरोना से रहित बनाने की कोई नई विधि ढूंढ ली है या हो सकता है कि वे पूरी न्यायिक प्रक्रिया को समाप्त कर देना चाहते हैं ताकि दोषी होने का फैसला भी सुना दें, और इसका अमल भी कर दें।

कुछ सरकारें प्रवासी श्रमिकों को बाहर निकाल रहे हैं जबकि उनके ग हराज्य उन्हें लेने के लिए तैयार नहीं हैं। वे वास्तव में राज्य विहीन कर दिये गये हैं, एनआरसी-एनपीआर के बिना ही। दिल्ली, सूरत, मुंबई और कई जगहों पर यह बात बार-बार सामने आ रही है। क्या छल-कपट को खत्म नहीं किया जाना चाहिए? क्या राज्य सरकारों को जवाबदेह नहीं बनाना चाहिए? - उन दोनों राज्यों को, एक जिनमें इन श्रमिकों ने काम किया और एक जहां वे पैदा हुए। सत्तारूढ़ दल दोष देने का ढोंग क्यों करते हैं जबकि वे सभी हमाम में नंगे हैं। वे एक-दूसरे का समर्थन करते हैं, प्रशंसा भी करते हैं; और जब श्रमिकों और गरीबों की देखभाल का सवाल आता है तो वे अपने सुपरिचित दोष देने का ढोंग शुरू करते हैं।

कोरोना अभी तक शासक वर्गों के लिए उपयोगी रहा है। असली कोरोना निष्क्रियता का होगा, शासकों को जवाबदेह ठहराने में अक्षमता का, अधिकारों के लिए उठने में विफलता का, लोगों की रक्षा में खड़े होने की विफलता का। आइए हम उन शासकों को, जिन्होंने भारत में कोरोना के प्रसार की अनुमति दी, हमारी कीमत पर हंसने की अनुमति न दें।

15 अप्रैल, *2020*

कोरोना प्रकोप : पूरी व्यवस्था पर प्रश्न

पशु से मानव में कूद कर, नोवेल कोरोना वायरस ने ना केवल मानव की प्रतिरक्षा प्रणाली का परीक्षण किया है, बल्कि जिस व्यवस्था में वे रह रहे हैं, उस पर भी बहुत सारे प्रश्न खड़े कर दिये हैं। यह वायरस गहरे अन्तर्विरोधों से ग्रसित साम्राज्यवादी व्यवस्था में आया है।

सरकार बहुत देर से कोरोना समस्या के प्रति जगी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने *24* मार्च मध्यरात्रि से तीन सप्ताह के लिए देश में तालाबंदी की घोषणा की थी। *19* मार्च को उन्होंने *22* मार्च को (जनता कर्फ्यू) एक दिन के बंद का आह्वान किया था। इससे पहले, सरकार, nCorona के प्रकोप से उत्पन्न चुनौती के प्रति गंभीर नहीं थी। सरकार की यह चूक कितनी गंभीर है, बीमारी के प्रक्षेपवक्र (COVID*19*) से सामने आएगा। हमेशा की तरह जनता ही शासकों की बेवकूफियों की कीमत अदा करेगी।

नवंबर *2019* में जब इसका प्रकोप शुरु हुआ, तो इसे कोरोना वायरस के नए संस्करण (एक उत्परिवर्ती - म्यूटेन्ट) के प्रकोप के रूप में पहचानने में कुछ समय लगा। रोगियों द्वारा शिकायत किए गए लक्षण एक नए रोग जनक के कारण हैं, इस बात को समझने में देर लगी। विज्ञान ने इस देरी को कम किया है, लेकिन इसे पूरी तरह से समाप्त नहीं किया है। कुछ देरी निश्चित रूप से चीन की सरकार द्वारा व्यवसायिक कारणों के कारण की गई। वुहान शहर जो शुरू में प्रभावित हुआ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक केंद्र है। यह विलंब अपरिहार्य नहीं था, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और तीव्र अंतर-साम्राज्यवादी प्रतिद्वंद्विता का उत्पाद था। इससे भी बदतर बात यह थी कि शुरुआत में जिन डाक्टरों ने इसे नया संक्रमण बताया उन पर मुकदमा चलाया गया और उनमें से एक की इस संक्रमण के कारण म त्यु हो गई।

इस विलम्ब के लिए कुछ हद तक चीन के शासक जिम्मेदार थे, अधिकांश देशों, विशेषकर पश्चिमी देशों ने भी इसके लिए कोई उपाय नहीं किया। बल्कि वे अपने प्रतिद्वंद्वी - चीन की पीड़ा का मजा ले रहे थे, उसे उपदेश दे रहे थे और कह रहे थे कि यह उसकी राज्य-नियंत्रित प्रणाली की कमजोरियों को इंगित करता है। वे सोच रहे थे कि यह विश्व अर्थव्यवस्था में उनके वर्चस्व को चीन द्वारा दी जा रही चुनौती का अंत है।

पश्चिमी मीडिया में एक अभियान चला कि यह वायरस वुहान में मछली बाजार के पास स्थित चीन की जैविक हथियार प्रयोगशाला से लीक हो गया था। ट्रम्प ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (W H O) द्वारा किसी देश या क्षेत्र के नाम पर किसी रोग जनक एजेंट को नाम नहीं देने की हिदायतों के बावजूद इसे वुहान वायरस कहने पर जोर दिया। निहितार्थ यह था कि यह एक लैब निर्मित वायरस था। चीन ने आरोपों के साथ जवाब दिया कि वायरस को वुहान में अमेरिकी सेना के एक दल द्वारा लाया गया था जो सैन्य खेलों में भाग लेने के लिए अक्टूबर *2019* में वुहान आया था। चीन ने अमेरिकी कांग्रेस की जांच में रोग नियंत्रण विभाग के निदेशक के एक बयान का भी हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि पिछले साल इन्फ्लुएंजा के कारण अमेरिका में हुई मौतों में से कुछ मौतें कोरोना वायरस के कारण हो सकती हैं। कुछ हफ्तों के लिए इन बयानों का खुला वार चलता रहा। बाद में पश्चिमी यूरोपीय देशों और अमेरिका में भी इसके भयंकर प्रकोप के कारण यह प्रचार कुछ थमा।

प्रचार की बात अलग है, यह अनुमान कि क्या कोरोना लैब निर्मित हो सकता है, वह चाहे चीन का या अमेरिका का जैविक हथियार रहा हो, को प्रतिष्ठित चिकित्सीय पत्रिका नेचर के *17* मार्च के अंक में प्रकाशित एक अध्ययन ने खारिज कर दिया है। पेपर के मुख्य लेखक क्रिस्टियन एंडरसन हैं। इस अध्ययन में, लेखकों ने निष्कर्ष निकाला कि कोरोना एक प्रयोगशाला निर्मित वायरस नहीं था, बल्कि एक प्राकृतिक उत्परिवर्ती था जो जानवरों (शायद चमगादड़ और पैंगोलिन) से मानव में आया था। उन्होंने अपने तर्क को पुष्ट करनहे के लिए कई वैज्ञानिक तर्क दिए हैं। इस अध्ययन ने पश्चिमी देशों में कटाक्षों के अभियानों को कुछ हद तक कम किया।

संक्षेप में, नोवल कोरोना वायरस का पहला मामला कथित तौर पर *17* नवंबर, *2019* को वुहान में सामने आया। यह पहचानने में कुछ दिन लग गए कि यह पहले से मौजूद कोरोना वायरसों में से कोई नहीं था। इसके अलावा, कई और मामले समान लक्षणों और बीमारी के समान क्रम के साथ अस्पतालों में आए। दिसंबर *2019* के मध्य तक वुहान में *60* पुष्ट मामले सामने आए थे। *5* दिसंबर, *2019* को डब्ल्यूएचओ चीन ने अज्ञात कारक वाले निमोनिया के *44* रोगियों की सूचना की अंतर्राष्ट्रीय चेतावनी जारी कर दी। *31* दिसंबर को, चीन ने अधिकारिक रूप से अज्ञात उत्पत्ति के साथ निमोनिया जैसे लक्षणों की बीमारी की विश्व स्वास्थ्य संगठन को सूचना की। *7* जनवरी, *2020* को चीन के केन्द्रीय टेलीविजन ने नोवेल (यानि नये) कोरोना वायरस की पुष्टि करते हुए रिपोर्ट प्रसारित की। *20* जनवरी को, मानव से मानव संचरण की पुष्टि की गई। लगभग उसी समय, चीनी वैज्ञानिकों ने nCorona के जीनोम को वैज्ञानिक अध्ययन के लिए दुनिया भर की कई प्रयोगशालाओं में उपलब्ध कराया। *23* जनवरी को चीन ने वुहान में तालाबंदी शुरू की।

उपरोक्त समय रेखा से स्पष्ट है कि जनवरी *2020* के पहले सप्ताह के अंत आते-आते, एक महामारी के फूटने की जानकारी चीनी अधिकारियों की स्वीकृति और डब्ल्यूएचओ के दिशानिर्देशों के माध्यम से स्पष्ट हो चुकी थी। डब्ल्यूएचओ

ने इसे बाद में विश्व स्वास्थ्य आपातस्थिति करार दिया।

यह कोरोना एक नया वायरस है जिसके लिए कोई टीका उपलब्ध नहीं है। इसके लिए टीका तैयार होने और मानव उपयोग के लिए स्वीकृत होने में कुछ समय लगेगा। विशेषज्ञ इस बात से सहमत हैं कि वायरस की महामारी के अन्य हालिया प्रकोपों की तुलना में इस विषाणु का विषैलापन विशेष रूप से अधिक नहीं है। इस वायरस के संक्रमण के कारण म त्यु दर मौजूदा उन बुजुर्गो में अधिक है जिन्हें पहले से ही स्वास्थ्य समस्याएं हैं। विशेषज्ञों के अनुसार nCorona अधिक संक्रामक है, संक्रमण की दर वायरस के कारण हाल के कुछ महामारियों की तुलना मे विशेष रूप से अधिक है। यह आबादी के बीच इस वायरस के प्रसार को रोकने के लिए कठिन समस्या बन गया है। nCorona खांसी/छींक आदि के माध्यम से फैलता है यानी एरोसोल, बूंदों आदि के रूप में बाहर निकलता है जिसमें वायरस होते हैं। वायरस सतहों पर रहता है और कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक अलग-अलग अवधि तक जीवित रहता है।

जहां कई देशों के शासक, लोगों के शोषण और उत्पीड़न के नियमित काम में लिप्त थे, वायरस ने अपनी प्रसार जारी रखा। वह कई देशों में पहुंच गया, उनके शासकों की हंसी को निराशा में बदल दिया। शासक - उदाहरण के लिए ट्रम्प और जॉनसन- जो nCorona के प्रसार के खतरे का मजाक उड़ा रहे थे, को जल्द ही अपनी भाषा बदलनी पड़ी। इससे भी महत्वपूर्ण बात, उन्हें सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को कोसने वाले अपने शब्दों को वापस लेना पड़ा और स्वास्थ्य सेवाओं के निजीकरण की प्रशंसा करना बंद करना पड़ा। बोरिस जॉनसन, जो खुद इससे संक्रमित हुए, वे राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना (एनएचएस) के डाक्टरों की सलाह से ही बच पाये, हालांकि उन्होंने एनएचएस को समाप्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। स्वास्थ्य सेवाओं के निजीकरण के खिलाफ वर्षों का संघर्ष जो ताकत प्राप्त नहीं कर पाया वह कुछ हफ्तों में मिली। पूंजीवादी व्यवस्था nCorona के प्रकोप से उत्पन्न आपात स्थिति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक बार फिर सार्वजनिक कोष से पैसे की मांग करने लगी। निजीकरण की प्रशंसा अस्थायी रूप से स्थगित कर दी गई है, हालांकि इसे हमेशा के लिए नहीं छोड़ा गया है। ट्रम्प, जो लंबे समय से नि:शुल्क स्वास्थ्य देखभाल का उपहास कर रहे थे, यहां तक कि वे Obamacare के नाम पर उसके संकुचित रुप का भी मजाक उड़ा रहे थे, वह अब इस स्वास्थ्य आपात स्थिति से निपटने के लिए सार्वजनिक धन खर्च करने की बात कर रहे हैं। यह कोई अपवाद नहीं है और समाजवाद का कोई पुनरुद्धार नहीं है, हालांकि विभिन्न रंगों के संशोधनवादी और सुधारवादी ऐसा प्रचार कर रहे हैं। महामारी में लाभ बहुत थोड़ा है और इसलिए निजी क्षेत्र इसमें कोई भूमिका नहीं ले रहा है, फिर भी बाद में पैसा बनाने वाले कुछ काम उसे सौंप दिये जाएंगे। पूंजीवाद ने हमेशा संकट से निपटने के लिए सार्वजनिक धन की तलब की है; *2008* की मंदी के दौरान उसको दी गयी खैरात को कौन भूल सकता है, वह भी कोई समाजवाद की ओर कदम नहीं था। यह स्वास्थ्य आपात स्थिति है और शासक इस बात से भयभीत हैं कि वह लोगों के बीच अपनी पूरी प्रतिष्ठा न खो बैठें और लोगों को बेवकूफ बनाने की उनकी क्षमता समाप्त न हो जाए। इसलिए उन्हें सक्रिय कदम उठाने चाहिए, ताकि लोगों का गुस्सा उन्हें और उनके द्वारा पोषित व्यवस्था को पलट न दे। और लोगों के ही धन से ऐसा करना और भी अच्छा होगा, जिसमें इसका पूंजीपतियों को बोझ वहन करने के लिए परेशान न करना पड़े, बल्कि लोगों के प्रति चिंता दिखाने के लिए उन्हें स्वैच्छिक योगदान तक सीमित रखा जाए और इस तरह से दशकों से सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को कमजोर करने के उनके अपराधों को धो दिया जाए।

भारत में, सरकार के पास nCorona के प्रसार, जिसने निश्चित रूप से हमारे दरवाजे पर दस्तक देनी ही थी, को रोकने की तैयारी करने के लिए बहुत समय था। लेकिन हमारे शासक अन्य जरूरी मामलों में व्यस्त थे। जब nCorona हवा और समुद्र के माध्यम से अपनी यात्रा कर रहा था, घर पर हमारे शासक (आरएसएस-भाजपा) अपने नागपुर प्रयोगशाला में तैयार किए गए वायरस - Cinana (CAA, NRC & NPR) को फैलाने में व्यस्त थे। जब पूरी दुनिया nCorona प्रसार से उत्पन्न खतरे के प्रति जाग रही थी, आरएसएस-भाजपा नेता शाहीन बाग को बिजली का झटका देने में व्यस्त थे। जब देश में स्वास्थ्य प्रणाली की ताकत का परीक्षण करने के लिए nCorona फैल रहा था, आरएसएस-भाजपा के नेता देश के संवैधानिक ढांचे को कमजोर करने में व्यस्त थे।

वे अकेले नहीं थे। विदेश में उनके मित्र/संरक्षक इस मूर्खतापूर्ण द ष्टिकोण में उनके साथ थे। अमेरिका और इंग्लैंड के शासक इंकार के दौर में थे, जो कोरोना के प्रसार के खतरे की देखभाल करने की बजाय लोगों पर हमला करने के प्रति ज्यादा चिंतित थे। ट्रम्प की भारत यात्रा (फरवरी *2019* के अंतिम सप्ताह) के दौरान कोरोना वायरस के प्रसार के खतरे पर ध्यान न देकर ट्रम्प के स्वागत के लिए बड़ी सार्वजनिक सभा आयोजित की गई थी।

भारत के पास nCorona महामारी का सामना करने की तैयारी के लिए बहुत समय था। भारत में पहला मामला *30* जनवरी को सामने आया था, जो डब्ल्यूएचओ द्वारा दी गयी वैश्विक चेतावनी के कई दिन बाद था। परन्तु, जैसा हमने ऊपर लिखा है कि भारतीय शासकों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इतना ही नहीं, आवश्यक सामग्री के भंडारण करने का भी कोई प्रयास नहीं किया गया। मार्च के तीसरे सप्ताह तक महत्वपूर्ण उपकरणों का निर्यात जारी रहा जब कथित तौर पर वेंटिलेटरों का निर्यात इजरायल को किया गया। सर्बिया को आपूर्ति भी सुर्खियों में रही है

जबकि भारत में स्वास्थ्य कर्मी उपकरणों की कमी से जूझ रहे हैं। इस घोर महामारी के प्रति भारतीय शासकों का आचरण घोर लापरवाही का रहा है।

केंद्र सरकार की सबसे बड़ी चूक विदेश से आने वालों की जांच न करने का था। यह वायरस विदेश से यात्रियों के माध्यम से, चीन, यूरोपीय देशों, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों, संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों से भारत आया था। डब्लूएचओ द्वारा चेतावनी दिए जाने के बाद और विशेष रूप से भारत में मामलों के शुरू होने के बाद, सबसे प्रभावी और सस्ता तरीका इन आने वालों का अनिवार्य रूप से एकांतवास कराना था। पर सरकार ने विदेश से आने वाले लोगों को एकांतवास पर अमल उन पर ही छोड़ दिया। क्या यह आने वाली महामारी के लिए एक लापरवाह भरा और आपराधिक रवैया नहीं है! भारत में स्वास्थ्य सेवाओं का जो हाल है, उसमें यदि सरकार को जनता की थोड़ी भी चिन्ता होती तो यह सरल कदम उठाना बेहद आवश्यक था। परन्तु यह सरल तार्किक कदम नहीं उठाया गया।

आरएसएस-भाजपा सरकार की *23* मार्च की शाम को मध्य प्रदेश में शपथ ग्रहण के बाद, प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश में तालाबंदी की घोषणा की। इसके लिए कोई तैयारी नहीं की गई। जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे तब भी किराने की दुकानों के बाहर अराजक द श्य थे और लोग फेरीवालों के पीछे भागते देखे गए थे। जो भोजन प्राप्त करने के लिए दैनिक कमाई पर निर्भर हैं, उनको भोजन उपलब्ध कराने के लिए कोई तैयारी की गई है। जो भी खबरें आ रही हैं उनमें कोई तैयारी नहीं दिखी है। लॉकडाउन वास्तव में प्रसार को रोकने के लिए अनुशंसित है लेकिन अनियोजित लॉकडाउन नहीं! अन्य देशों के साथ इसकी तुलना करें, वहां लोगों के लिए सभी आवश्यकताओं की व्यवस्था की जा चुकी है। यहां लोगों को लॉकडाउन का सामना करने के लिए अपने भरोसे छोड़ दिया गया है! यह एक मनमाना फरमान है जिसमें उसकी दिशा-द ष्टि पूरी तरह गायब है! यहां उठाए जा रहे कदम लोगों के जीवन के साथ ही एक सार नहीं हैं और उनमें कुछ भी प्रशंसनीय नहीं है। जिन तालियों के साथ इटली में चिकित्सा कर्मियों की जय-जयकार की गई, उसकी अपील सत्ता में बैठे लोगों ने नहीं की; भारत में तो यंत्रवत रूप से, जो वहां स्वतःस्फूर्त था उसे सत्ता में बैठे लोगों ने योजनाबद्ध किया। केवल एक ही फर्क था, तालियों के साथ थालियां जोड़ दीं।

एक बहुत ही महत्वपूर्ण चूक, शारीरिक दूरी बनाए रखने की हिदायत पर अमल के लिए उपाय नहीं करने थे। इस बात पर व्यापक सहमति है कि मानव से मानव संक्रमण को रोकने या कम करने में शारीरिक दूरी का व्यापक योगदान होता है। लेकिन शहरी इलाकों में शारीरिक दूरी की गुंजाइश कहां है जहां अधिसंख्य लोग छोटे घरों में निवास करते हैं, जिनमें छह से सात व्यक्ति छोटे कमरे में एक साथ रहते हैं। प्रधानमंत्री के संबोधन ने इस विषय को छुआ तक नहीं। सरकार ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की कि इस काम के लिए सरकारी भवन, स्कूल, कालेज, स्टेडियम और अन्य खाली सरकारी इमारतें इस उद्देश्य के लिए खोली जाएंगी। कोरोना प्रसार की अवधि के लिए बिल्डरों की बड़ी संख्या में बिना बिकी खाली इमारतें अधिग्रहण करने और उपलब्ध कराने की कोई घोषणा नहीं की गई थी। राजनीतिक अभिजात वर्ग को आबंटित तथा आर्थिक अभिजात वर्ग के कब्जे में नई दिल्ली में आबंटित हर बंगले में खाली पड़े बड़े स्थान उपलब्ध कराने की कोई घोषणा नहीं की गई थी। फिर बड़े शहरों में रह रहे दुर्भाग्यपूर्ण मेहनतकश लोग शारीरिक दूरी किस तरह से बना कर रख सकते थे ? आरएसएस-भाजपा के कारपोरेट मित्रों ने इस उद्देश्य के लिए अपने विशाल भवनों को खोलने के लिए पेशकश नहीं की। पुलिस सड़कों पर लोगों को परेशान कर रही है, लेकिन उन्हें यह नहीं बता रही है कि वे किस स्थान पर भोजन और आश्रय प्राप्त कर सकते हैं, अपने को कोरोना और भूख से कैसे बचा सकते हैं। यह सरकार की सबसे बड़े अपराधों में एक था।

वास्तव में पुलिस द्वारा लोगों की, जिन्हें हम नागरिक कहते हैं, पिटाई के द श्य भारतीय लोगों की कुल शक्तिहीनता का एक विलक्षण अनुस्मारक है। और कहां आपने क्रूर पिटाई के ऐसे द श्य देखे हैं, जहां लोगों को घुटने के बल चलाया जाता है और लाठियों से उनके शरीर पर दुनिया का नक्शा खींचा जाता है? उन देशों में भी ऐसा नहीं किया जाता जहां इस महामारी ने भारी तबाही मचाई है। उच्च पुलिस अधिकारियों, सत्तारूढ़ राजनेताओं और न्यायधीशों द्वारा व्यक्तिगत पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराने का कोई फायदा नहीं है। इसका दोष गैरजवाबदेही की संस्कृति पर है जिसको साव धानीपूर्वक पाला-पोसा गया है और जिसे कायम रखा गया है। पुलिसकर्मियों द्वारा बसों में ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगाने, कारों और खिड़कियों को क्षतिग्रस्त करने और अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि सीसीटीवी को नष्ट करने, ताकि उनके कुकर्मों का साक्ष्य मिट जाए, को शासकों द्वारा, जो इस बीमारी की जड़ में है, लगातार बढ़ावा देना इसके लिए जिम्मेदार है। उनके द्वारा की गयी मौखिक आलोचना उनकी इसमें संलिप्तता का हिस्सा है। भारतीय शासकों का दिल इतना कठोर है कि वे भूखे प्यासे और पुलिस के डंडों के साथ तड़पते हुए गरीब भूखे निराश्रितों को देख कर भी नहीं पिघला है। पूर्ववर्ती औपनिवेशिक स्वामियों के चरणों में बैठकर इन्होंने अच्छा प्रशिक्षण लिया है!

डब्लूएचओ की वैश्विक स्वास्थ्य आपात स्थिति की घोषणा और भारत में इसके वास्तविक आगमन के बीच बड़े अंतराल को सरकार द्वारा बर्बाद कर दिया गया। यानी खतरे से मुकाबला करने के लिए तैयारी नहीं की गयी। हवाई अड्डों पर न केवल भारत में प्रवेश करने वालों की जाँच नहीं की गई, बल्कि खतरे का मुकाबला करने के लिए भी कोई कदम नहीं उठाए गए। इस खतरे का खुलासा होने के

दौरान, स्वास्थ्य सेवाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए समय मिला था लेकिन इसका उपयोग नहीं किया गया था। तथा नौटंकी करने में और बर्बाद किया जा रहा है। स्वास्थ्य कर्मी, जो बीमार और पीड़ितों के इलाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, के लिए पर्याप्त उपकरण नहीं हैं। क्या उन्हें चुप कराने से उपकरणों की कमी की समस्या हल हो जाएगी? यह सामान्य है कि गंदे सने हुए कपड़े खुले में सूखने के लिए छोड़ दिए जाते हैं, लेकिन हमारे शासक और प्रशासक चाहते हैं कि इन तथ्यों को छिपा लिया जाए। यह केवल समस्या को और बढ़ाएगा। शासक समय पर कार्रवाई करने में विफल रहे हैं, वे कम से कम अब गंभीर हो सकते हैं। भारत में दुनिया में कुपोषित, बीमार और भूखे लोगों की सबसे बड़ी आबादी है, दुनिया की आबादी में हमारे अनुपात की तुलना से भी कहीं अधिक। यदि भारत में महामारी फैलती है, तो यह बड़ा नुकसान कर सकती है। हमें इस बात को समझना चाहिए कि स्पैनिश फ्लू (*1918-1920*) जो प्रथम विश्व युद्ध से लौट रहे सैनिकों के माध्यम से भारत आया था, में मारे गये लगभग आधे लोग भारत से थे। दुनिया में मरे लगभग *380* से *500 लाख* लोगों में लगभग *200 लाख* भारत से थे। हम भारत में रिकार्ड समय में उपकरणों की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता रखते हैं यदि केवल सरकार अपने दोस्तों को मुनाफा देने के लालच को छोड़ दे।

इस लड़ाई को लड़ने में समय नहीं गंवाया जा सकता। हमारा द ष्टिकोण पूर्णतः विज्ञान आधारित होना चाहिए। इसमें आग से खेलने की कोई गंजाइश नहीं है। दांव पर लगी कीमत बहुत ऊंची है। विज्ञान में अंधकारता और चाटुकारिता के लिए कोई जगह नहीं है। वैज्ञानिक स्वभाव और ज्ञान रखने वाले लोगों को आगे लाना चाहिए और राज कर रही शक्तियों द्वारा उन्हें ना तो तंग किया जाना चाहिए ना ही उन पर दबाव दिया जाना चाहिए। उन्हें लोगों की सेवा करनी चाहिए और अपनी बात खुलकर कहनी चाहिए ताकि और बेहतर सेवा की जा सके! हम एक सफल लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें आत्मसंतुष्टी और श्रद्धा छोड़ना होगा।

कोरोना महामारी का पूर्ण प्रभाव अभी सामने आना बाकी है। पहले दौर में, शासकों ने सत्ता पर बेलगाम कब्जा कर लिया है और लोगों की स्वतंत्रता को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, बल्कि उपायों को अधिक कुशलता से और प्रभावी ढंग से लोगों कोसाथ लेकर किया जा सकता था। शोषक और उत्पीड़कों के प्रतिनिधि कोई दूसरी भाषा नहीं जानते हैं। इसके अलावा, उनका जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों को दबाने और लोकतांत्रिक स्वतंत्रता को समाप्त कर देने का उनका मकसद भी है। उसमें वे कोरोना को एक सहयोगी पाते हैं। उन्होंने अभी तक लोगों को हल्के और निर्मित आरोपों में गिरफ्तार करना नहीं छोड़ा है। यहां तक कि राजनीतिक कैदियों को जेलों से रिहा करने का प्रारंभिक कदम भी नहीं उठाया गया है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई का पहला दौर लोकतांत्रिक स्वतंत्रता को सीमित करने के साथ शासकों के पक्ष में रहा है, यह सब इस नाम पर कि लोकतांत्रिक अधिकारों का सवाल बाद में उठता है, पहला सवाल तो लोगों का जिन्दा बचना है। लेकिन कोरोना एक वायरस है और उसने अपना आखिरी वार अभी नहीं किया है। जैसे-जैसे संकट गहराता होगा, शासकों के कदमों पर प्रश्न उठेंगे। कोरोना संकट से निपटने के लिए शासकों द्वारा कारपोरेट की सेवा, उनके विभाजनकारी राजनीतिक खेल और उनकी चूकें और सोच समझ कर की गयी उनकी गलतियों की परीक्षा, वेतन में कटौतियां, मजदूरी दर में कमी, बेरोजगारी का बढ़ना और लोगों पर थोपी गयी सभी कठिनाइयों पर सवाल उठेंगे। पहले दौर में जो लोग खुश हो रहे हैं, जरूरी नहीं है कि अंत में वही विजयी रहें। यह सब इस पर निर्भर करेगा कि परजीवी शासक वर्गो और देश के अधिसंख्य मेहनतकश लोगों के बीच संघर्ष में कौन भारी पड़ता है।

कोरोना के बाद की दुनिया के बारे में बहुत अटकलें हैं। साम्राज्यवादी व्यवस्था के सभी बुनियादी अंतर्विरोध खुल कर जारी हैं। पश्चिमी अर्थव्यवस्थाएं बाजार में हिस्सेदारी खोने के डर से लाकडाउन से सावधान हैं। इसी डर ने तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की है। मांग घटने के बावजूद प्रमुख तेल उत्पादक उत्पादन में कटौती पर सहमत नहीं हो पा रहे हैं। कोरोना वायरस महामारी उस समय फूटी है जब साम्राज्यवादी दुनिया गंभीर और गहरे संकट के दौर से गुजर रही थी। जहां विकास दर में लगातार गिरावट आ रही है और लोगों की हालत बिगड़ रही है, भारत सहित कई देशों में विकास दर गिर रही है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का नव उदारवादी प्रारूप जो पिछले तीन दशकों से अधिक समय से चलन में था, बढ़ती असमानता और बाजार के व द्धि की कमी यानी लोगों की क्रय शक्ति घटने के कारण एक गंभीर चुनौती का सामना कर रहा था। साम्राज्यवादी दुनिया के एक हिस्से ने वैश्वीकरण को आंशिक रूप से पीछे हटाने के रूप में, जैसा कि अमेरिका, ब्रिटेन और कई देशों द्वारा किया गया था, इस संकट का हल ढूंढ़ने की कोशिश की थी। यह देखा जाना चाहिए कि इस प्रक्रिया पर कोरोना वायरस के प्रकोप का क्या प्रभाव पड़ेगा। पर अधिक महत्वपूर्ण होगा इसका नव-उदारवादी प्रारूप पर प्रभाव। क्या कीनेसियन समाधान केवल कुछ समय के लिए होगा ताकि लोगों पर बोझ डाला जा सके या पूंजीवाद का नव-उदारवादी प्रारूप कुछ और बदलाव से गुजरेगा? बहुत कुछ वर्तमान व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए मजदूर वर्ग और मेहनतकश जनता के संघर्ष पर निर्भर करेगा। हालांकि, यह पूंजीवाद को अपने अस्तित्व को बचाने के लिए अपने कुछ रूपों को बदलने से नहीं रोकता है। लेकिन पूंजीवाद कोई बुनियादी रियायत नहीं दे सकता, वरना यह पूंजीवाद नहीं बचेगा। वर्ग संघर्ष आने वाले समय को तय करेगा।

भाकपा (माले) के बनने के इक्यावन साल के अवसर पर

क्रांतिकारी आंदोलन को आगे बढ़ाओ, पार्टी को मजबूत करो।

22 अप्रैल, *1969* को भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन को दूसरी बार पुनर्गठित किया गया और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) का गठन किया गया। भाकपा (माले) का गठन कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों की अखिल भारतीय समन्वय समिति, एआईसीसीसीआर, ने विश्व सर्वहारा के महान शिक्षक, वीआई लेनिन, के जन्मदिन पर किया। इस *22* अप्रैल को लेनिन के जन्म की *150*वीं वर्षगांठ भी है।

भाकपा (माले) का गठन कम्युनिस्ट पार्टी को संशोधनवाद और नवसंशोधनवाद के दलदल से मुक्ति दिलाने, जिसमें वह धंस गयी थी, के लिए किया गया था और भारत के लोगों का उत्पीड़न कर रहे साम्राज्यवाद, दलाल नौकरशाह पूंजीवाद और सामंतवाद से मुक्ति के रास्ते को पुनर्स्थापित करने के लिए नवजनवादी क्रांति करने और इसके द्वारा समाजवाद और साम्यवाद के निर्माण में आगे बढ़ने के लिए किया गया था। भाकपा (माले) का निर्माण क्रांतिकारी कम्युनिस्टों द्वारा माकपा के नेत त्व में हावी संसदीय रास्ते के प्रभुत्व के विरुद्ध, विद्रोह का परिणाम था। माकपा का खुद का गठन भी भाकपा के डांगेपंथी नेत त्व के संशोधनवाद के विरुद्ध विद्रोह से हुआ। भाकपा (माले) का निर्माण कम्युनिस्ट क्रांतिकारी आन्दोलन को संशोधनवाद के विभिन्न रूपों से मुक्त कराने के लिए हुआ था और विशेष तौर पर भाकपा व माकपा द्वारा अमल किए जा रहे उसके संसदीय रूप के विरुद्ध तथा अक्तूबर क्रांति के रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए, यानि शोषक वर्गों के राज को हथियारबंद संघर्ष, जो भारत में हथियारबंद कृषि क्रांति है, के जरिये उखाड़ फेंकने के लिए किया गया। इस तरह से यह भारतीय कम्युनिस्ट आन्दोलन में दो दिशाओं, लोकयुद्ध के रास्ते तथा संसदीय रास्ते, के बीच संघर्ष का परिणाम था। उत्तर बंगाल में वर्ग संघर्ष की बढ़ रही ज्वाला द्वारा लोकयुद्ध के रास्ते के अमल की प्रक्रिया से भारत के कम्युनिस्ट आंदोलन में इस रास्ते की पुनर्स्थापना हुई।

पार्टी के निर्माण को *51* साल बीत गये हैं। इस लम्बी अवधि के दौरान हम नवजनवादी क्रांति के लिए काम करते रहे हैं और इसे विजयी बनाने के लिए अब भी कर रहे हैं। *51* साल कोई छोटी अवधि नहीं है और भारत अपने क्रांतिकारी परिवर्तन की प्रतीक्षा कर रहा है। वर्तमान स्थिति में क्रांति की आवश्यकता तथा भाकपा माले की बुनियादी समझ, यानि कार्यक्रम और रास्ते, के मूल बिन्दु आज भी प्रासंगिक हैं और भारत में क्रांति को हासिल करने की दिशा प्रस्तुत करते हैं। भाकपा (माले) के निर्माण के *50* वर्ष के अवसर पर पिछले साल हमने इन सारे बिन्दुओं को रेखांकित किया था और भारत में क्रांतिकारी आन्दोलन का निर्माण करने और उसे आगे बढ़ाने के लिए उसकी जारी वैधता को प्रस्तुत किया था।

ये *51* साल क्रांतिकारी आन्दोलन का निर्माण करने के लिए वर्ग दुश्मन के हमलों और जनता पर राजकीय दमन का मुकाबला करते हुए लगातार संघर्ष के साल रहे हैं और ऐसा होना लाजमी था। ये वर्ष संशोधनवाद तथा दक्षिणपंथी और 'वामपंथी' भटकावों के विरुद्ध क्रांतिकारी दिशा की रक्षा के लिए निरंतर संघर्ष के वर्ष भी रहे हैं। इन सालों में बहुमूल्य अनुभव व सबक हासिल हुए हैं जो भारत में नवजनवादी क्रांति के लिए संघर्ष में क्रांतिकारी ताकतों के लिए मददगार होंगे।

एक सबसे नकारात्मक पहलू रहा है कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों के बीच विभाजन। जहां पार्टी और आन्दोलन के अन्दर सैद्धान्तिक और राजनैतिक संघर्ष अपरिहार्य और स्वागत योग्य है, कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों के बीच विभाजन लाजमी नहीं है, बल्कि बहुत हानिकारक है। आइये, विभाजन को पार करते हुए एकता की ओर आगे बढ़ें।

इस साल हम पार्टी स्थापना दिवस देश में लागू लॉकडाउन के बीच मना रहे हैं। कोरोना के प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए सरकार के कदम उसके जनविरोधी चरित्र को ही दिखाते हैं। ये कदम और बहुसंख्यक जनता के विशाल हिस्से की परेशानियां, जिनमें औद्यागिक मजदूरों और किसानों के सभी मेहनतकश तबके हैं, भारतीय समाज और राज के चरित्र को दिखाता है। प्रवासी मजदूरों के साथ किया जा रहा व्यवहार दिखाता है कि इस व्यवस्था में मेहनतकश लोग किस हद तक शक्तिहीन हैं तथा और शासक वर्गों द्वारा उन्हें हमले का मुख्य निशाना बनाया जा रहा है। इस समय पर हमें लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए और उनकी मदद करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। हमें लोगों की चिंताओं को रेखांकित करने के लिए और उनकी समस्याओं का समाधान कराने के लिए लॉकडाउन तथा कोरोना प्रकोप के कारण लगाई गई पाबंदियों की ठोस परिस्थितियों में संघर्ष के रूप विकसित करने चाहिए।

जनता के हितों को अनदेखा करना और साम्राज्यवादी ताकतों के साथ जुड़ाव सत्ता के अर्द्ध औपनिवेशिक चरित्र को एक बार फिर प्रदर्शित करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प की धमकियों के सामने झुकना और देश के लिए जरूरी चिकित्सीय सामग्री की आपूर्ति को अमेरिका की ओर मोड़ दिया जाना देश के आर्थिक जीवन के विभिन्न हिस्सों पर साम्राज्यवादी पूंजी के प्रभुत्व तथा शासक राजनैतिक अभिजात वर्ग पर साम्राज्यवाद के प्रभाव यानि साम्राज्यवाद के समक्ष उनकी अधीनस्थता के कारण हुआ।

कोरोना प्रकोप ने एक बार फिर भारत के भूमिहीन व गरीब किसानों, जिनका जीवन ही खतरे में है, के समक्ष समस्याओं को प्रकाश में ला दिया है। इनके अलावा प्रवासी मजदूर जो मुख्य रूप से गरीब किसानों व कृषि मजदूरों से आते हैं, बिना खाने, आश्रय और काम के, गांवों की ओर पलायन कर रहे हैं। साल के इस समय पर छोटे, मध्यम

तथा सूक्ष्म उद्योगों में काम करने वाले मजदूर फसल कटाई के लिए बड़ी संख्या में अपने गांव जाते हैं ताकि परिवार के लिए वे अनाज सुरक्षित कर सकें। इससे उनके मालिकों को भी उनका वेतन कम रखने में मदद मिलती है और जमींदारों को उत्पाद का ज्यादा बड़ा हिस्सा अपने पास रखने में। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ उनके निरंतर सम्पर्क को भी दिखाता है, ग्रामांचल में मौजूदा अर्द्ध सामंती अर्थव्यवस्था की व्यापकता की याद दिलाता है। यह पहलू जिन्होंने अर्थव्यवस्था को पिछड़ा बनाए हुआ है, समाज को ठहराव में रखा हुआ है और बड़े पूंजीपति व बड़े जमींदारों के हाथों में राजनीतिक सत्ता को केंद्रित किया हुआ है, खुले रूप में प्रदर्शित हैं।

शासक आरएसएस-भाजपा कोरोना प्रकोप का जानबूझकर इस्तेमाल अपने फासीवादी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। आरएसएस मशीनरी अपनी साम्प्रदायिक योजना की पूर्ति के लिए कोरोना के इस्तेमाल में हद से ज्यादा सक्रिय है, मुसलमानों को चयनित कर इसका प्रसारक बता रही है; इसके पीड़ितों को इसका दोषी बता रही है। आरएसएस-भाजपा सरकार कोरोना के बहाने से एससी/एसटी के लिए आबंटित सरकार फंड में कटौती कर रही है। कोरोना के प्रकोप का चतुराई के साथ आर्थिक व सामाजिक रूप से ताकतवर लोगों के हित में साज में मौजूद दरारों में प्रवेश कराया जा रहा है।

इस प्रकोप के नाम पर सरकार की साजिशों का सबसे बड़ा प्रभाव जनवादी अधिकारों पर पड़ा है। आरएसएस-भाजपा द्वारा सत्ता में लौटने के बाद उच्च न्यायपालिका वैसे भी उसके सामने समर्पण कर चुकी है। आरएसएस-भाजपा सरकार ने जनवादी अधिकारों पर बड़ा हमला शुरु किया है। उसके असली निशाने पर क्रांतिकारी संघर्ष और जनता के आन्दोलन हैं। वह जनपक्षधर बुद्धिजीवियों को शहरी नक्सल होने के नाम पर निशाना बना रही है। सरकार के जनविरोधी व अलोकतांत्रिक कदमों पर प्रश्न करने के लिए जनवादी बुद्धिजीवियों पर मुकदमे चलाए जा रहे हैं। कोरोना के प्रसार का सरकार का प्रबंधन दिखाता है कि वर्तमान जनविरोधी व्यवस्था इसका मुकाबला करने में अयोग्य है। उसकी चूकें व उसकी अयोग्यताएं इसे साबित करती हैं। यह क्रांतिकारी और संर्घारत ताकतों को एकताबद्ध कर और फासीवादी हमलों के खिलाफ सभी ताकतों व जनता को गोलबंद कर सरकार के फासीवादी एजेंडे का मुकाबला करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

इस पार्टी स्थापना दिवस के अवसर पर आईये हम नवजनवादी क्रांति के लिए आन्दोलन को तेज करने, जनता खासकर मजदूरों और किसानों के, विशेषकर प्रतिरोध संघर्ष के साथ संघर्षों का निर्माण व विकास करने, पार्टी के सैद्धान्तिक आधार - मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओत्से-तुंग विचारधारा की रक्षा करने, क्रांतिकारी वर्गों के बीच पार्टी को स्थापित करने और जनता की सेवा के लिए पूरी पार्टी को उन्मुख करने के लिए अपने को समर्पित करें। पार्टी के भीतर गैरक्रांतिकारी रुझानों और पतन के विरुद्ध और कम्युनिस्ट आदर्शों, जीवनशैली और काम के तरीकों के लिए एक निरंतर संघर्ष शुरु करें। आइये, कुर्बानी की भावना, कठिनाइयों और मौत तक का निडरता से समाना करने की भावना जाग त करें। आइये तथ्यों से सीखने और सब कुछ जनता के लिए देने की आदत विकसित करें।

भाकपा (माले) जिंदाबाद!

मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओ विचारधारा पर आगे बढ़ो!

नवजनवादी क्रांति के निर्माण के लिए आगे बढ़ो!

फासीवादी हमलों के विरुद्ध जनता को गोलबंद करो!

कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों को एकताबद्ध करो!

लोगों के साथ रहो और उनके लिए सब कुछ करो!

केन्द्रीय कमेटी, भाकपा (माले) न्यू डेमोक्रेसी

21 अप्रैल, *2020*

पत्रिका के सभी पाठकों से अनुरोध

- *लाक डाउन के कारण पत्रिका का पुराने रुप में प्रकाशन सम्भव नहीं है। तथापि आज पाठकों को वर्तमान स्थिति से अवगत कराना और भी जरूरी है। हम पत्रिका के ई-संस्करण के प्रकाशन के जरिये जहां तक संभव है इस जरूरत को पूरा करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमें आपके सहयोग की अत्यधिक आवश्यकता है।*
- *साथियों तक पत्रिका पहुंचाने के लिए साथी ईमेल तथा व्हाट्सएप का इस्तेमाल करें। जो साथी इनके इस्तेमाल से परिचित न हों कार्यकर्ता उन्हें पत्रिका में प्रकाशित लेखों, रिपोर्टों तथा सामग्री से अवगत करायें।*
- *पत्रिका के लिए हमें लेख व रिपोर्ट नियमित रुप से भेजें। मौजूदा समय में इसकी जरूरत और बढ़ गयी है।*
- *पत्रिका के इस्तेमाल करने का प्रयास करें। स्वयं भी पढ़े और अधिक से अधिक लोगों को भेजें।*
- *पत्रिका के बारे में अपने सुझाव भेजें।*
- *पत्रिका के सहयोग के लिए राशि जमा करें।*

मई दिवस जिंदाबाद!

दुनिया के मजदूरों के सामने क्रांतिकारी बदलाव ही एकमात्र रास्ता है!

भारत के मजदूर साथियों ! इस मई दिवस, वैश्विक महामारी के विरुद्ध मजदूर विरोधी कदमों का विरोध करें !

साथियों,

मई दिवस *2020* एक ऐसे समय में आया है जब दुनिया भर के लोग लगभग एक सदी पहले *1918* में आई महामारी के बाद नवीन कोरोना वायरस की महामारी का सामना कर रहे हैं। दुनिया भर में लाखों लोग बीमार हैं या मर चुके हैं, संख्या तब और बदतर थी। दोनों ही साम्राज्यवाद का नतीजा हैं, इस बार वाहक, वैश्विक व्यापार के लिए लोगों की आवाजाही है। दुनिया भर में लोग, पूँजी के मुनाफे की हवस, दुनिया भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के खत्म करने, पूरा जोर स्वास्थ्य सेवाओं के निजीकरण पर होने तथा मुनाफे के लिए अनुसंधान की कीमत चुका रहे हैं।

भारत में, *25* मार्च के बाद से केंद्रीय सरकार ने वायरस के प्रसार को रोकने के लिए दुनिया में सबसे कठोर लॉकडाउन लागू किया है। ऐसा उन्होंने गैरजवाबदेही और लापरवाही से वायरस को विदेशों से खुले आम देश में घुसने की अनुमति देकर किया है। और ऐसा उसने हवाई अड्डों को अन्य देशों से आने वाली उड़ानों के लिए बंद करने में बहुत देरी कर के; विदेशों से आने वाले लोगों के लिए हवाई अड्डों पर एक अनिवार्य एकांतवास न करके किया है। हालांकि यह जनवरी के अंत से स्पष्ट था कि यही एकमात्र रास्ता था जिसके द्वारा वायरस एक देश से दूसरे देश में फैल रहा था। और, *25* मार्च के बाद से देशव्यापी लॉकडाउन को लागू करने के लिए एक क्रूर, मजदूर विरोधी रवैया अपनाया गया है।

देश के बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर रातों रात अपने काम के शहरों में कैद हो कर रह गये हैं। वे पर्याप्त या रहने की किसी भी तरह की जगह के बिना हैं और निश्चित रूप से "शारीरिक दूरी" बनाये रखने पर अमल नहीं कर सकते। उनके पास कोई भोजन नहीं है, अधिकतम के पास राशन कार्ड और राशन नहीं है, कोई पैसा नहीं है और कोई जमापूंजी नहीं है। केंद्रीय और राज्य सरकार द्वारा सिर्फ आश्वासन मिला है, लेकिन भोजन या आश्रय नहीं मिला। प्रधानमंत्री ने देश को तीन बार संबोधित किया लेकिन एक बार भी उन्होंने इस विशाल प्रवासी और गरीब आबादी को असली मदद के किसी भी उपाय की घोषणा नहीं की, बस अमीरों को गरीबों को दान करने के लिए कहा। अदालतें दिखा रही हैं कि वे सरकार के साथ खड़ी हैं।

इस प्रकार, लाखों मजदूर या तो चल चुके हैं, या चलने की कोशिश कर रहे हैं, साइकिलों पर जा रहे हैं, और अभी भी घर जाने की कोशिश कर रहे हैं। *50* से ज्यादा की रास्ते में मौत हो चुकी है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अड्डे गुड़गांव में एक प्रवासी निर्माण मजदूर ने आत्महत्या कर ली है। जिन लोगों को उनके सफर में रोक दिया गया है या जिन्होंने अपनी बस्तियों में रहने की कोशिश की, उन्हें दयनीय परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। जो हाथ संपदा पैदा करते हैं, वही हाथ अब शहर -शहर में भोजन के लिए घंटों फैलाये जाने को मजबूर हैं; वह भी दिन में एक ही बार खाना पाने के लिए। अपने मूल राज्य व काम के राज्य, दोनों की सरकारों के लिये वे अवांछित हैं।

संगठित उद्योगों के मजदूर और कर्मचारियों को अनिवार्य वेतन कटौती का सामना करना पड़ रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने छंटनी की घोषणा की है और श्रम कानून मशीनरी के पंगु किये जाने के कारण, सरकारें बाकायदा जानती हैं कि भव्य घोषणाओं के बावजूद नौकरियों में कटौती और वेतनहीनता होगी। इस बात को अप्रत्यक्ष रूप से सरकार ने माना जब यह घोषणा की गई कि मजदूरों को, जिस जिले में वे अटके हैं, वहीं अधिकारियों के पास पंजीकरण करना चाहिए ताकि उन्हे वहां काम दिया जा सके। उन लोगों के साथ क्या होता है जिन्होंने पहले वह काम किया था ?- क्या उन्हें भुगतान किया जा सकता है ? और पंजीकरण का एक नया सिरदर्द मजदूर वर्ग के सिर पर डाल दिया गया है - एक और लाइन में खड़े होने के लिए।

स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करने वाले, सफाई करने वाले, प्राथमिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता जैसे - आशा, इस महामारी के खिलाफ लड़ाई की अग्रिम पंक्ति में हैं। इन्हें बचाव के कपड़े नहीं मिलते, मामूली सा जोखिम भत्ता मिलता है, उनके परिवारों के लिए कोई सुविधा नहीं, और यहां तक कि अलग रहने और एकांतवास के लिए भी उचित सुविधाएँ नहीं हैं। वे लोगों के बीच हैं। पल्स पोलियो के लिए, आशा कार्यकर्ता जनता के बीच में हैं, जहां उन्हें स्वास्थ्य सर्वेक्षण के लिए पुलिस बल के साथ भेजा जाता है क्योंकि चिकित्सा प्रशासक सुरक्षित कार्यालयों में बैठते हैं। एनपीआर करने वाली टीमों के होने की गलतफहमी के कारण वे हर जगह विरोध का सामना कर रहे हैं, अक्सर लोगों के गुस्से का सामना कर रहे हैं, जो वास्तव में पुलिस के खिलाफ गुस्सा है।

केंद्रीय सरकार ने एक तरफ, लोकतांत्रिक अधिकारों और कार्यकर्ताओं पर अपने हमलों को जारी रखते हुए, अपने सांप्रदायिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए महामारी का उपयोग करने की कोशिश की है। भाजपा-आरएसएस सरकारें लॉकडाउन का इस्तेमाल सीएए विरोधी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने, लोकतांत्रिक आंदोलन के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं और अल्पसंख्यकों को परेशान करने के लिए कर रहे हैं। दूसरी ओर, ये श्रम कानूनों पर नकेल कस रही हैं, कोड के लिए

अध्यादेश ला रही है और *12* घंटे के कार्य दिवस को लागू करने की साजिश रच रही है। देश के पैसा कॉरपोरेट को खुश करने के लिए लुटाया जा रहा है, दूसरी ओर महामारी के दौर में गरीबों की मदद करने के लिए आबंटित राशि एकदम मामूली है। महामारी के लिए सकल घरेलू उत्पाद का केवल *0.7* फीसदी अबवंटित किया गया है।

महामारी भारत सरकार को इस तथ्य को छुपाने में मदद करेगी कि भारत लोगों की क्रय शक्ति की कमी के कारण, गंभीर आर्थिक संकट की चपेट में था। मजदूरों के अधिकारों, वेतन और काम पर हमला आने वाले दिनों में तेज होगा। सरकार अच्छी तरह से अवगत है और *30* अप्रैल को समाप्त होने वाले लॉकडाउन को मई दिवस पर मजदूरों की आवाज की अभिव्यक्ति को कुंद करने के लिए बढ़ाया गया है।

भारत के मजदूरों ! मई दिवस *2020* को कोरोना लॉकडाउन के पर्दे के पीछे मजदूरों, अल्पसंख्यकों और अधिकारों पर हमले के खिलाफ विरोध दिवस के रूप में चिह्नित करें। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लॉकडाउन के मजदूर विरोधी कार्यान्वयन का विरोध करें। इस दिन का उपयोग निम्नलिखित ठोस मांगों को उठाने के लिए करें।

1. महामारी के दौरान लोगों को राहत के लिए *10* फीसदी जीडीपी को आबंटित किया जाना चाहिए; स्वास्थ्य बजट को सकल घरेलू उत्पाद के *5* फीसदी तक बढ़ाया जाना चाहिए। मूल्य व द्धि पर सख्त नियंत्रण किया जाए। सभी आवश्यक सामानों को केंद्रीय सरकार द्वारा सब्सिडी दी जानी चाहिए।

2. कोई छंटनी, तालाबंदी नहीं। सभी तरह के मजदूरों को वेतन का भुगतान किया जाना चाहिए, निजी क्षेत्र के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों के माध्यम से व्यवस्था की जानी चाहिये। इसे माफ किया जा सकता है या मालिकों से वसूल किया जा सकता है।

3. अनाज के भंडार खोले जाएं। सभी को राशन तुरंत दिया जाए। अगले छह महीने के लिए तत्काल घर-घर सूखा राशन, दाल, खाना बनाने का तेल और ईंधन पहुंचाया जाए।

4. सभी देश भर के निर्माण मजदूरों को, पंजीकृत हो या नहीं, निर्माण मजदूर बोर्ड द्वारा अप्रैल से राज्य की न्यूनतम मजदूरी दी जाए। *100* और उससे कम मजदूरों वाली इकाइयों में सरकार को मालिकों व मजदूरों, दोनों के अंशदान का भुगतान करना चाहिए चाहे वे ठेका पर हों या आउटसोर्स पर हों जैसा कि नियमित मजदूरों के लिये किया जा रहा है।

6. सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा को तुरंत लागू किया जाए।

7. सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त किया जाए। सभी निजी स्वास्थ्य सुविधाओं का अधिग्रहण हो। सभी लोगों के लिए नवीन कोरोना वायरस के लिए निःशुल्क और व्यापक परीक्षण किया जाए, चाहे उनका स्वास्थ्य बीमा हो या न हो। सरकारों द्वारा सभी मजदूरों को मास्क का मुफ्त वितरण किया जाए क्योंकि यह रोकथाम का एकमात्र संभव तरीका है।

8. आशा कार्यकर्ताओं, अनियमित सफाई कर्मचारियों, आदि को न्यूनतम वेतन का भुगतान किया जाए, ईएसआई और पीएफ को उन पर तुरंत लागू किया जाय व सरकार द्वारा नियोक्ताओं के योगदान का भुगतान किया जाए। उन्हें जोखिम भत्ता का भुगतान करें; अस्पताल और नगर निगम के सफाई कर्मचारियों को केंद्र सरकार के माध्यम से एक ही भत्ता दिया जाना चाहिए जहाँ कोई अन्य योजना मौजूद नहीं है।

9. मजदूर जो अभी भी घर जाना चाहते हैं, उन्हें गरिमा के साथ भेजा जाना चाहिए और सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे ट्रेनों और बसों में पर्याप्त दूरी पर रहें। छात्रों और भक्तों को तो वैसे भी ले जाया जा रहा है। उनके घर जाने और काम पर वापस जाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा पैसे दिये जाने चाहिए।

10. श्रम कानूनों में कोई बदलाव नहीं किया जाए। त तीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन से दान के नाम पर कोई अनिवार्य कटौती नहीं।

11. सांप्रदायिक साजिशों को तुरंत रोकें।

12. सभी राजनीतिक कैदियों को तुरंत रिहा करें। जनवादी अधिकारों पर हमले बंद करो। प्रवासियों और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ महामारी अधिनियम का दुरुपयोग बंद करो।

साथियों, हमारे देश में पहले ही सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन और भी लाखों लोग भूखे हैं, विस्थापित हैं। हम हर मजदूर और हर मजदूर के परिवार के लिए अपनी हार्दिक सहानुभूति भेजते हैं जिसने दुनिया भर में और हमारे देश में मौत का सामना किया है। हमारे साथियों को हमारे देश के विभिन्न हिस्सों में अभाव, बदहाली, जीवन की क्षति और गरिमा को खोने का सामना करना पड़ रहा है, सिर्फ इसलिए कि शासक हमारे वर्ग के लिए चिंता नहीं करते हैं। मई दिवस आशा का, एक नई दुनिया के लिए संघर्ष का दिन है। मई दिवस एक नई सुबह का वायदा करता है, एक सुबह जिसे हम खुद लाएंगे। आइए हम मिलकर उस उम्मीद को सलाम करें।

इस मई दिवस, जिसमें हमारे गुस्से और हमारी मांगों को व्यक्त करने के लिए कई अलग-अलग रूपों की आवश्यकता होगी। हम आप सभी का आवाहन करते हैं कि नये तरीके ढूंढे, कोई निष्क्रियता नहीं; आइए हम उपयुक्त सावधानियों के साथ खुद को उचित रूपों में अभिव्यक्त करें।

हमारे शहीदों को सलाम, साथ में संघर्ष और एक नई सुबह के लिए आप सभी को बधाई!

राष्ट्रीय कमेटी,

इंडियन फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस।

क्या लॉकडाउन लोगों पर कम कठोर हो सकता था ?

आशीष मित्तल

हम *21* दिन के घोषित और *24* दिन के वास्तविक लॉकआउट के अंत तक पहुँच रहे हैं। इसे बिना सोचे-समझे अगले *3* सप्ताह तक बढ़ाया गया है। गरीब आश्चर्यचकित हैं कि उच्च वर्ग जिस बीमारी के फैलने से भयभीत है, उसका दंड उन्हें क्यों दिया जा रहा है।

अर्थव्यवस्था पहले से ही बुरे हाल में है। कृषि कार्यों को खोलने की आवश्यकता है, बहुत तत्काल। सरकार लोगों के भोजन और स्वास्थ्य समस्याओं को हल करने में असमर्थ है। विरोध प्रदर्शन फूट रहे हैं। सत्तारूढ़ नेता इंकार की मुद्रा में बने हुए हैं। पुलिस और मीडिया के अलावा आवश्यक सेवाएं पंगु बनी हुई हैं। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि कैसे लोगों के बंद जीवन को पुनः चालू किया जाएगा? अमीर ही इस महामारी के प्रसार के वाहक रहे हैं और उनका ही डर मुख्य रूप से लॉकडाउन को बढ़ाने के लिए दबाव बना रहा है।

कृषि में बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि कटाई में देरी हुई है; बाजार बंद रहे; किसान औजार व अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने में असमर्थ हैं; मशीनों की मरम्मत का इंतजार है; पुलिस ने आवाजाही रोकी हुई है; श्रमिक उपलब्ध नहीं हैं, प्रवासियों को घर जाने की प्रतीक्षा है और उपलब्ध श्रम महंगा है; कर्ज बढ़ रहे हैं; सब्जी की खेती और दूध पर निर्भर छोटे किसान पहले से ही मार झेलते रहे हैं क्योंकि शहरों में आपूर्ति कम है; मंडियों के खुलने की कोई गारंटी नहीं है; किसान इस बात से डरे हुए हैं कि उन्हें फसल कम दाम पर बेचनी पड़ेगी और मौसम भी नुकसान कर सकता है।

भारत के *50* फीसदी से ज्यादा लोग कृषि संबंधी कार्यों से जुड़े हैं, कृषि को फिर से शुरू करने के लिए अधिकांश परिवहन, व्यापार और मानव आवाजाही को फिर से शुरू करना होगा। कैसे किया जाए, अब यह सवाल है।

मैन्युफैक्चरिंग और उद्योग भी प्रभावित हैं। एनएसएस कार्यालय के उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण, एएसआई के अनुसार, भारत में *1,95,584* पंजीकृत कारखाने हैं जो *156* लाख श्रमिकों को रोजगार देते हैं (*7* अप्रैल, *2020*, इंडियन एक्सप्रेस, भारत के कोरोना वायरस लॉकडाउन के बाद कौन से कारखानों को फिर से खोलना चाहिए?)। उन पर लगभग पूरा ताला लगा हुआ है। नुकसान के अलावा, अब जब भी ये खुलेंगे, आपूर्ति की समस्याएं, कम मांग और श्रम की कमी उन्हें प्रभावित करेंगी। इसके अलावा, चीन और अन्य देशों से आयात, जहां उत्पादन चालू है, इनमें से कई को बर्बाद कर देगा। कुछ का मानना है कि हम लगभग *150* लाख रोजगार खोने जा रहे हैं।

स्वास्थ्य सेवाएं लगभग गायब हो चुकी है : लगभग सभी अस्पताल, क्लीनिक, नर्सिंग होम नियमित देखभाल के लिए बंद हैं। सरकार के अस्पतालों में भी आपात मामलों को नहीं देखा जा रहा है क्योंकि वे केवल कोरोना मामलों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कई डॉक्टर, सभी मध्यम और उच्च वर्ग के लोगों की तरह भयभीत होकर छिपे हुए हैं, क्योंकि उन्हें व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) प्रदान नहीं किए गए हैं और वे जोखिम नहीं उठाना चाहते। सुरक्षा सामग्री की अत्यधिक कम आपूर्ति के कारण, काम करने वाले चिकित्सा कर्मचारी दुर्लभ हो गए हैं। इन्हें धमकी भी दी जा रही है और अतिरिक्त वेतन प्रोत्साहन के साथ लालच भी।

कारपोरेट अस्पताल की सेवाएं भी काफी हद तक बंद हो गई हैं। उनके लिए न तो लाभ कमाना संभव है, न ही वे चाहते हैं कि ऐसे समय पर वे सामाजिक जिम्मेदारी को पूरी ना करते हुए देखे जाएं। सरकार को इन सभी कारपोरेट अस्पतालों को अपने कब्जे में लेना चाहिए था और उन्हें कोरोना देखभाल केंद्रों में परिवर्तित कर देना चाहिए था।

लोगों के दुख का कोई अंत नहीं है। आपूर्ति घटती जा रही है। स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है।

संक्षेप में समस्या यह है। जब *19* मार्च को प्रधानमंत्री ने, माचो मैन के अंदाज़ में 'सिर्फ एक दिन' के जनता कर्फ्यू के लिए अपील की, तो भारत में कोरोना द्वारा संक्रमित संख्याएं सिर्फ *173* थीं उस दिन *23* नए मामलों के सामने आए थे। जब *21* की रात को ट्रेनों और सभी परिवहन को अवरुद्ध किया गया, तो उस दिन *60* नए मामलों के साथ कुल संक्रमित *283* थे। और जब *24* मार्च की रात को पूर्ण *3* सप्ताह के लॉकडाउन की घोषणा की गई और उड़ानों को रोक दिया गया तो कुल संक्रमित *519* थे और *88* नए मामले थे। आज, *12* अप्रैल, जब अर्थव्यवस्था को खोलने और लोगों को फिर सक्रिय करने की आवश्यकता बढ़ गयी है, कुल मामले *8356* हैं, जिनमें एक दिन पहले *1035* नए मामले थे और *40* मौतें थी और आज *909* नए मामले और पिछले *24* घंटों में *34* मौतें हुई हैं। भारत अब इस लॉकडाउन कैसे खोलेगा, जिसे दुनिया में सबसे कठोर, सबसे व्यापक और सबसे क्रूर समझा गया है।

क्या हम पड़ासियों से सीख सकते थे?

बांग्लादेश को खुलने में उतनी समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा है। उन्होंने शुरु से लॉकडाउन से इंकार किया, क्योंकि यह शब्द आतंक पैदा करता है। सरकार ने *22* मार्च को, *26* मार्च से *4* अप्रैल तक *10* दिन की छुट्टी की घोषणा की थी, जिसे फिर बाद में बढ़ा दिया गया। इन *4* दिनों के बीच इसने अपने मजदूरों को घर जाने के लिए प्रेरित किया और फिर रेल व सड़क परिवहन को अतिरिक्त

2 दिनों के लिए 27 मार्च तक संचालित किया।

22 जनवरी को ही उन्होंने चीन से आए सभी यात्रियों को स्क्रीन (लक्षणों और डॉक्टरों द्वारा थर्मल स्क्रीनिंग) के लिए अपने हवाई अड्डे को अलर्ट पर रखा था। 2 फरवरी को, चीन से यात्रियों के लिए वीजा निलंबित कर दिया गया था। इसके अलावा, पूरब से आने वाले सभी माल जहाजों में, उनके मानव यात्री निगरानी में रखे गये थे।

फिर, जब 8 मार्च को 3 मामलों की पुष्टि की गई, तो उन्होंने अपने सबसे बड़े नायक, मुजीबुर्रहमान, जिनकी बेटी देश पर शासन करती हैं, के सम्मान में आयोजित होने वाले सामूहिक कार्यक्रम को स्थगित कर दिया। लेकिन हमने 23 मार्च को शपथ लेने की और 25 मार्च को रामलला पूजा की अनुमति दे रखी थी। यह हमारे राजनीतिक नेत त्व की चेतना और तैयारियों के स्तर पर प्रकाश डालता है। 18 मार्च को वहां हुई पहली म त्यु के बाद, पहली बार शिबचर और मदारीपुर क्षेत्र में लॉकडाउन लगाया गया था। बांग्लादेश के अनुसार 9 अप्रैल के दिन, ढाका के 52 आवासीय क्षेत्र बंद थे। बांग्लादेश के बड़ी संख्या में लोग इटली में बसे हुए हैं, जहां कोरोना का बहुत भारी हमला हुआ।

यहां 12 अप्रैल को कुल संक्रमित, 482, कुल म त 30 थे।

भारत में 464 की तुलना में बांग्लादेश का जनसंख्या घनत्व 1,116 प्रति वर्ग किलोमीटर है।

बांग्लादेश के 16 करोड़ लोगों में से 40 लाख परिधान उद्योग में कार्यरत हैं। 3 अप्रैल की एक रिपोर्ट के अनुसार, इनमें से केवल 10 लाख कोरोना छुट्टी के दौरान हटाए गए थे, वह भी मांग घटने के कारण। बाकी लोग मास्क पहन कर काम कर रहे थे, क्योंकि मास्क पहनने का नियम लागू होना पहली सावधानियों में से था।

ऐसी भी कई रिपोर्टें हैं जो बताती हैं कि वहां सरकार के दमनकारी रुख और भ्रष्टाचार, आदि के कारण लोगों को बहुत परेशानियां हो रही हैं। वहां 10 अप्रैल को यह नोटिस निकाला गया कि "लोगों की जीविका की आवश्यकता को देखते हुए रेल व बस सेवाएं व अन्य यातायात धीरे-धीरे खोल दी जाएंगी"।

भारत में मास्क का उपयोग अभी भी बहुत दुर्लभ है, खासकर गाँवों और मलिन बस्तियों में। इनकी साँस छोड़ना और साँस लेने में सुक्ष्म बूंदों को रोकने में भूमिका है, वे बूंदे जिससे वायरस फैलता है। यह लोगों को अनावश्यक रूप से अपने चेहरे को छूने से भी रोकते हैं, जो एक और आवश्यक सावधानी है। वे अन्य सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन को प्रेरित करते हैं, जैसे कि हाथों की धुलाई और दूरी बनाए रखना, आदि। एक हिदायतों के प्रतीक के रूप में दिखते हैं और जगह पर बंधे रहते हैं। *लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जैसे विशिष्ट व्यक्ति ने इसका मजाक उड़ाते हुए 'गमछा' के प्रयोग की बात कही,* जो उनके लिए शायद नई खोज थी। स्पष्ट है कि वे सब लोगों को मास्क देने की जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। सरकार लोगों को कपड़ा और घागा मुहैया करा सकती थी, मास्क सिलने और बांटने का सामाजिक अभियान चला सकती थी। पर उसने ऐसा नहीं किया।

श्रीलंका में भी एक कड़ी तालाबंदी की गई थी, लेकिन यहाँ भी सरकार ने पहले एक चेतावनी की घोषणा की, फिर अवकाश घोषित किया और फिर कर्फ्यू की घोषणा की। इसके अलावा, इसने विशेष ट्रेन और बसें चलाकर लोगों को राजधानी कोलंबो से बाहर निकलने के लिए परिवहन प्रदान किया। 12 अप्रैल तक, इसमें 199 मामले थे, 7 मौतें। यहां जनसंख्या घनत्व 341 प्रति वर्गकिमी है।

क्या हमारा नेत त्व पाकिस्तान से सीख सकता था? यह तो बहुत ही कठिन बात है। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि पाकिस्तान का लॉकडाउन सबसे कम कठोर रहा है। यहां के प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि पाकिस्तान एक गरीब देश है और इसकी 25 फीसदी आबादी का ख्याल रखने के लिए उनके पास बहुत कम क्षमता है। सिंध प्रांत में इसकी तालाबंदी शुरू हुई, वह भी धीरे-धीरे। सरकारों ने पहले प्रांतीय लॉकडाउन के छह दिन तक रेल संचालित रखा और लोगों को वापस लौटने का समय दिया। 12 अप्रैल को 86 मौतों के साथ यहां कोरोना 5,038 मामले थे। यहां जनसंख्या घनत्व 287 प्रति वर्ग किमी है। संयोग से पाकिस्तान की ईरान से सटी सीमा है जिसमें खुला आना जाना है और निश्चित रूप से अब बड़ी संख्या में चीनी लोग भी मौजूद हैं।

भारतीय उपमहाद्वीप के अन्य देश : नेपाल में आज के दिन कुल 12 मामले हैं, जिनमें से 8 विदेश से आए, 3 भारतीय नागरिक हैं और एक स्थानीय संक्रमण है। नेपाल ने पहली बार 1 मार्च से ही प्रतिबंध लगा दिया था, जिसमें चीन समेत 5 देशों के वीजा पर रोक लगाई थी और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए अनिवार्य जाँच व एकांतवास शामिल था। 24 मार्च से तालाबंदी घोषित की गई। इसमें परियोजनाओं और पर्यटन के कारण बड़ी संख्या में चीनी यात्री हैं। यहां कोई मौत नही हुई है।

भूटान में 6 मार्च को पहला मामला पाया गया, सभी 90 संपर्कों को एकांतवास में रख दिया गया, सभी विदेशी पर्यटकों को प्रतिबंधित कर दिया गया। इसमें कुल 5 मामले हैं, सभी बाहर से यात्रा करके आए हैं।

माना जाता है कि भारत ने चीन के अनुभव के हिसाब से अपनी योजना बनाई। लेकिन जैसा कि 31 मार्च को, दॅ स्क्राल में लिखे एक लेख में, शोएब दनियाल ने बताया, बीजिंग में काम करने वाले एक भारतीय के अनुसार चीन में अमल किया गया लॉकडाउन भारत की तुलना में कम कठोर था। "भारत के विपरीत, बीजिंग में, बसें चलती थीं। यात्री और चालक के बीच प्लास्टिक शीट से दूरी बनाकर पहले सप्ताह के बाद टैक्सियां चल रही थीं। घरेलू उड़ानों

और ट्रेनों को केवल कुछ प्रांतों से रोक दिया गया था, सभी से नहीं।" वास्तव में, यूरोप या अमरीका तक के किसी भी देश में सार्वजनिक परिवहन पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है। इसके अलावा, यह सर्वविदित है कि चीन ने केवल वुहान और उसके प्रांत हुबेई को पूरी तरह से बंद कर दिया था क्योंकि यह इस वायरस के प्रसार का शुरूआती केंद्र था। लेकिन उसने हर घर में भोजन और अन्य आवश्यकताओं को पूरा कराने के लिए पूरे देश को गोलबंद कर दिया था।

सार्क पहल : भारत सरकार ने सार्क समन्वय बनाने की पहलकदमी ली थी, जिसके लिए उसने *14* मार्च को *10* मिलियन डॉलर का अनुदान देने का भी प्रस्ताव रखा था। अनुभव साझा करने और एक-दूसरे की मदद करने के लिए यह एक अच्छा कदम होता। लेकिन पाकिस्तान द्वारा समन्वय के लिए एक कनिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी को नियुक्त किये जाने के बाद, भारत ने इसे अपनी पहलकदमी और सार्क का अपमान समझा। फिर किसी कारण से इस कदम को आगे नही बढ़ाया गया।

सख्ती संकेत (स्ट्रिंगजेन्सी इन्डेक्स) :

वायरस के प्रसार की जांच करने के लिए लागू की गई सरकार की नीतियों की संख्या और कठोरता को सख्ती संकेत द्वारा रिकार्ड किया गया है। यह आक्सफोर्ड के कोविड गवर्नमेंट रिस्पांस ट्रैकर या OXCGRT द्वारा शुरु किया गया। इसने सरकार की प्रतिक्रिया के नौ संकेतकों के आधार पर आंकड़े एकत्र किये - स्कूल बंद होना, कार्यस्थल बंद होना, सार्वजनिक कार्यक्रम रद्द करना, सार्वजनिक परिवहन बंद करना, सार्वजनिक सूचना अभियान, आंतरिक आवाजाही पर प्रतिबंध और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा नियंत्रण (S*1* से S*7*) और दो अन्य (S*12* और S*13*)। इनका मूल्यांकन साधारण पैमाने पर किया गया जबकि चार वित्तीय संकेतकों, S*8* से S*11* राजकोषीय उपाय, मौद्रिक उपाय, स्वास्थ्य सेवा में आपातकालीन निवेश और टीकों में निवेश का वित्तीय पैमाने पर किया गया।

इन आंकड़ों के अनुसार *73* देशों की प्रतिक्रिया का मूल्यांकन किया गया है। चीन एक ऐसा देश है जो *9* मार्च को *76.2* के सख्ती संकेतक पर था और मार्च के अंत तक इसे *42.9* पर ला दिया। भारत तब *47.6* पर था और जल्द ही *100* पर चला गया। यह *100* के संकेतक पर पहुंचने वाले *18* देशों में से एक है। यह देखना दिलचस्प होगा कि श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान इस पैमाने पर किस संकेतक पर रहते हैं, पर दुर्भाग्य से उनका सटीक मूल्यांकन रिपोर्टों में परिलक्षित नहीं किया गया है।

इस सख्ती की हमने क्या कीमत चुकाई है?

भारत में *13.9* करोड़ प्रवासी कामगार हैं। बहुत कम लोग अपने घरों तक पहुंचे हैं। जो सैकड़ों किलोमीटर तक पैदल चले, उन्होंने बहुत ज्यादा परेशानियां उठाईं। सभी शेष को या तो उनके काम करने की जगह रोक दिया गया, या रास्ते में रोककर *'एकांतवास'* में डाल दिया गया, इस लिए नहीं कि उन्हें करोना होने का संकेत था, बल्कि सिर्फ इस लिए कि *उन्होंने सरकार का आदेश न मानने की 'अनुशासनहीनता' दिखाई थी*। शासकों ने यह दूर-दूर तक समझा दिया है कि अब ये प्रवासी मजदूर वायरस के प्रसार का स्रोत हैं। जिन राज्यों से वे आते हैं, वे स्वयं इस बात की वकालत कर रहे हैं कि ये वापस घर ना आएं।

ये प्रवासी श्रमिक काम और मजदूरी के बिना रह रहे हैं, बहुत कम भोजन की आपूर्ति के साथ, दुकानों के बिना, ज्यादातर अपने आवास या रोकथाम के पिंजरों में बंधे हुए हैं। उनके साथ दुर्व्यवहार, धमकी और मारपीट की जा रही है। यह माना जाता है कि वे कोरोना के वाहक हैं। अगर वे विरोध करते हैं तो उन पर लाठी चार्ज किया जाता है, गोली चलाई जाती है और गिरफ्तार किया जाता है। *ये सब कुछ इसलिए क्योंकि अमीरों को इस बात का डर है कि वे वायरस फैला सकते हैं।*

इसलिए, वे बिना किसी भौतिक कारण के, *'सामाजिक रूप से दूर किये जा चुके हैं'*, अवांछित बहिर्वाह बन गए हैं। सिर्फ इसलिए कि केंद्र सरकार ने इतना डर फैला दिया है। उन पर रास्ते में कीटनाशकों का छिड़काव किया जा रहा है। ऐसा, जो जानवरों के साथ भी नहीं किया जाता है, क्योंकि कीटनाशक मानव को मार सकता है, लेकिन वायरस को नहीं। नीचे यह तस्वीर लखनऊ की है, जबकि पहले की एक घटना बरेली की थी। अज्ञानी ग्रामीणों के मन में यह समझ पैदा कर दी गयी है कि क्योंकि प्रवासी श्रमिक बड़े शहरों से वापस आए हैं, वे निश्चित रूप से इस वायरस के वाहक हैं। आखिरकार, हमारे शासक भी ऐसा ही मानते हैं। कई स्थानों पर उन्हें गांवों में प्रवेश करने से रोक दिया गया है। कुछ म तकों का इसी भय के कारण रिश्तेदार भी अंतिम संस्कार नहीं कर रहे हैं। और भारतीय समाज में यह पहलू पीछे कैसे रह सकता था, कोरोना पर एक मनुवादी व साम्प्रदायिक रंग भी चढ़ गया है। आप सामाजिक सीढ़ी पर जितने नीचे हैं, उसी हिसाब से आपकी दुर्दशा है, खासकर अगर आप मुस्लिम, दलित या ओबीसी हैं। लॉकडाउन के दौरान लोगों को बाहर जाने की अनुमति देने में पुलिस ऐसे भेदभाव के केंद्र में रहती है।

प्रवासियों की समस्या के कारण इस नुकसान की भयावहता बहुत अधिक है। उदाहरण के लिए, बाहर काम करने वाले श्रम से बिहार के गांवों में वित्तीय प्रेषण (घर पैसा भेजना) का मूल्य *2011-12* में राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का *35.6* फीसदी था (इंडियन एक्सप्रेस, *10* अप्रैल, संकट के चश्मे के माध्यम से, क्रिस्टोफे जाफरलोट और हेमल ठक्कर)। प्रवासी मजदूर जो कमाते हैं उसका *25* से *50* फीसदी घर भेज देते हैं, ताकि उनके परिवार जीवित रह सकें। पिछले दो दशकों में झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मप्र जैसे कई कम विकसित राज्यों से ऐसे पलायन हुए हैं।

औपनिवेशिक मानसिकता : आम लोगों के प्रति हमारे

शासकों की औपनिवेशिक मानसिकता का यह प्रदर्शन अशिष्ट है। हकीकत यह है कि पूरे उप-महाद्वीप में, इन औपनिवेशिक कानूनों और रवैये को सबसे खराब शासन भारत में दिखता है। सत्ता में बैठे लोगों द्वारा शासन का 'आवश्यक' ढंग से संचालन ना होने देने के लिए गरीबों को दोषी ठहराया जा रहा है। संभवतः भारतीय शासक खुद को ब्रिटिश औपनिवेशिक विरासत का असली वारिस मानते हैं।

कोरोना फैलने के अब तक के सारे सबूत साबित करते हैं कि सरकार का रवैया 'निश्चिंत लापरवाही' का रहा है। सरकार के प्रमुख दोष और हमारे लिए कार्य हैं :

1. सावधानियों का अमल : सरकार इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहती कि अन्य वायरस की तरह वह कोरोना के प्रसार को नहीं रोक सकती। यह हर कीमत पर फैलेगा ही। केवल सावधानी बरतने से ही इसके प्रसार में मंदी लाई जा सकती है। इन सावधानियों का अमल पहले ही दुर्घटनाग्रस्त किया जा चुका है। कानून व्यवस्था प्रणाली 'लोगों को घर के अंदर धकेल' उन्हें 'धराशाही' करने पर अड़ी हुई है, वह उन्हें अनपढ़ अपराधियों के रूप में मान रही है, जो कोरोना के खतरे से उत्पन्न 'अत्यंत गंभीर स्थिति' को नहीं समझ पा रहे हैं। बहुत ऊपर से, अर्थात् राजनीतिक नेत त्व, का जोर भी इसी बात पर है, क्योंकि यह खुद अपने को बदल कर सावधानियों को अमल कराने की मुद्रा में नहीं ला पा रहा है।

2. संक्रमण फैलेगा ही, इस बात को स्वीकार करें, इससे होने वाली क्षति को भी स्वीकार करें : कोरोना प्रसार केवल अंतर्राष्ट्रीय यात्रा से ही हुआ है और यह अभी भी शहरों में केंद्रित है, विशेष रूप से उन लोगों में जो अधिक अंतर्राष्ट्रीय यात्री रहे हैं। शायद ही किसी गाँव से कोई मामला सामने आया हो। दुनिया भर में इसका प्रसार उन स्थानों पर केंद्रित है जहां खुली जगह नहीं है और कम तापमान और बंद कमरे हैं। जैसा कि एक अध्ययन से स्पष्ट हुआ है कि खासतौर से *30* डिग्री अक्षांश से नीचे बसे देशों में इसका फैलाव कम है, जो गरीब देशों के कम विकसित क्षेत्रों में इसके फैलने का एक संभावित कारण हो सकता है। यह भी द ढ़ता से संदेह है कि भारतीय गर्मी इसे नहीं मारेगी और वातानुकूलित सामूहिक समारोह इसके प्रसार का स्रोत बने रहेंगे। हमें अभी तक इसके भारत में प्रसार के सामाजिक और वर्ग मार्गों पर आंकड़े नहीं दिये गये हैं। ये आंकड़े इसके रोकथाम के तरीकों और जोर पर और स्पष्टता दिला सकते हैं। इसका समाधान कई महीनों तक इन उपायों को अमल करने से मिल सकता है क्योंकि इसका प्रसार धीमी गति से चलता ही रहेगा। इस दौरान होने वाली क्षति को हमें स्वीकार करना होगा।

3. परिवहन और अर्थव्यवस्था का गला घोटना, इसका समाधान नहीं है। लोगों के जीवन, अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य देखभाल का यह लॉकडाउन, कोरोना से होने वाले नुकसान की तुलना में कहीं ज्यादा नुकसान कर रहा है और कर चुका है। अमीरों का मानना है कि वायरस से उनका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था, जबकि गरीब लोग उनसे दो सवाल कर रहे हैं, वायरस को फैलाने का भी और उनका जीवन बंद करने का भी। कामकाजी लोगों के लिए जीवन चला पाना एक बड़ी समस्या बनती जा रही है।

4. चिकित्सा सुविधा की कमी के कारण होने वाली मौतों का लेखा-जोखा : जहां लोग इस तालाबंदी में भूख और आजीविका के नुकसान, दोनों से पीड़ित हैं, स्वास्थ्य सुविधा के पूर्ण पतन से फौरी क्षति हो रही है, मधुमेह, रक्तचाप, जच्चा के मामले, दस्त, बुखार और सक्रंमित रोग, सूची अंतहीन है। इसके कारण हुए जानमाल के नुकसान का आंकलन अभी भी किया जाना बाकी है, लेकिन निश्चित रूप से यह नोवेल कोरोना के नुकसान से हजारों गुना ज्यादा है।

5. लोगों को प्रोत्साहित करें, उन्हें दंडित न करें : लोगों की किसी गलती के बिना उन्हें धक्का देना और दंडित करना बंद करना होगा। सावधानियों को लागू करने के लिए उन्हें गोलबंद करने की इच्छा होनी चाहिए। यही इसका समाधान है।

6. कम नुकसान के साथ झुंड प्रतिरक्षा : अंत में, यह भी जोर दिया जाना चाहिए कि फैलाव को रोकने के लिए, अर्थव्यवस्था को जाँच और सावधानियों के साथ संचालित करने का एक चिकित्सीय उद्देश्य भी है। यह प्रसार को होने देने और साथ में धीमा करने की अनुमति देता है, जो तत्काल रोगियों की संख्या को कम रखता है और उपस्थित चिकित्सीय सेवाओं को इन रोगियो की देखभाल करने की अनुमति देता है, जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यह धीमी गति से संचरण के कारण, झुंड प्रतिरक्षा विकसित करने में भी मदद करता है। अंत में यह प्रसार को समाप्त कर देता है, क्योंकि वायरस को लगातार ऐसे मेजबानों का सामना करता पड़ता है जो स्वस्थ हैं और जिनमें पहले से ही इससे प्रतिरक्षा की क्षमता है।

विकास के साम्राज्यवादी/कारपोरेट मॉडल : जिस तरह से कोरोना फैल गया है, विकसित देशों के शहरों और औद्योगिक केंद्रों में और ऐसे केन्द्रों से, हमें साम्राज्यवाद द्वारा निदेशित इस विकास प्रारूप का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना चाहिए। गांवों को बंजर छोड़ दिया गया है और सभी आर्थिक एकाग्रता शहरों में है, जहां सक्रिय श्रम बड़ी संख्या में पलायन करता है। यह सत्य कि इस तरह के केंद्र नोवेल कोरोना *19* जैसी घातक बीमारियों को जन्म दे सकते हैं, जबकि गांव अभी भी अछूते रह सकते हैं, हमें इस प्रारूप पर पुनर्विचार करना चाहिए।

एक फूले हुए 56 इंच गुब्बारे पर उड़ते रहने का खतरा यह है कि जमीनी हकीकत बहुत दूर रह जाती है और देश बहुत गंभीर आर्थिक और सामाजिक-राजनीतिक समस्याओं से ग्रसित हो जाता है। इसे संबोधित किया जाना चाहिए।

12 अप्रैल 2020

जघन्य नरसंहार के *101* वर्ष

जलियांवाला बाग भारत की जनता के संघर्ष के लिए एक ध्रुव तारा बना हुआ है।

13 अप्रैल, *2020* जलियांवाला बाग नरसंहार की *101*वीं वर्षगांठ है। यह आज भी सभी को भारतीय जनता के औपनिवेशिक जुए के खिलाफ संघर्ष और उस संघर्ष के दौरान लोगों द्वारा किए गए बलिदानों की याद दिलाता है। इसका भारत के लोगों की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा।

जलियांवाला बाग प्रासंगिक बना हुआ है। साम्राज्यवाद परस्त ताकतें *1947* में सत्ता हस्तांतरण के बाद सत्ता में आई थी। उनके समझौतावादी द ष्टिकोण ने जलियांवाला को न केवल महान बलिदान की ऐतिहासिक घटना के रूप में प्रासंगिक रखा, बल्कि यह देश के लोगों को यह भी याद दिलाता रहा है कि वे किस लिए संघर्ष कर रहे थे और कैसे यह संघर्ष अभी भी अधूरा था।

समझौता परस्ती ने विश्वासघात का रास्ता खोल दिया और सत्ता पर वे ताकतें स्थापित हुईं जिन्होंने देश पर औपनिवेशिक शासन के पक्ष में काम किया था और जिन्होंने लोगों के एजेंडे के हर पहलू का विरोध किया, जो पहलू स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में सामने आकर अभिव्यक्त हुए और स्थापित हुए थे। उपनिवेशवाद विरोध, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय और संघवाद और इनके विभिन्न पहलु और अभिव्यक्तियां, स्वतंत्रता के लिए भारतीय जनता के संघर्ष की चालक शक्तियां रही थीं। ये सभी पहलू, पैदा होने के लिए संघर्ष कर रहे नए भारत की रूपरेखा भी थे।

जलियांवाला बाग औपनिवेशिक शासन के खिलाफ भारतीय लोगों की एक खुली अवज्ञा थी, जो स्वतंत्रता के लिए भारतीय जनता के आंदोलन को कुचलने के लिए औपनिवेशिक शासकों द्वारा लाए गए दमनकारी रौलेट एक्ट के विरूद्ध संगठित हुई। यह औपनिवेशिक शासन के खिलाफ भारतीय लोगों के साहस और बलिदान की लोककथाओं में प्रवेश कर गयी है। जलियांवाला बाग, औपनिवेशिक शासन के खिलाफ सभी धर्मो और सामाजिक समुदायों के लोगों की एकता का भी एक शानदार उदाहरण था। यह वास्तव में धर्मनिरपेक्ष था। इसकी धर्मनिरपेक्षता भारतीय लोगों की समान आकांक्षाओं पर आधारित थी। यह हिंदू, मुस्लिम, सिख सिर्फ एक-दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे थे, बल्कि एक समूह के रूप में, स्वतंत्रता के लिए एक साथ प्रयासरत थे एवं ऐसी एकता के आधार पर अपने भविष्य की तलाश कर रहे थे।

आज राज कर रहे आरएसएस-भाजपा के शासक, हर उस बिन्दु के विरुद्ध हैं, जिसका प्रतीक जलियांवाला बाग था। बल्कि उन्होंने इस विरोध को सत्ता में आने के लिए अपने प्रयासों की आधारशिला बना लिया है। वे स्वतंत्रता आंदोलन के मूल्यों के साथ अपने विश्वासघात को महिमामण्डित भी करते हैं। जाहिर है कि ऐसा केवल इसलिए हो सका है कि सत्ता में इनसे पहले बैठे लोग इन मुद्दों पर समझौतावादी रवैये अपनाते रहे हैं। यह भी स्व-स्पष्ट तथ्य है कि समाज के प्रबल तबकों के प्रमुख हिस्से के हितों की इससे पूर्ति होती है।

आरएसएस-भाजपा ने न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था में साम्राज्यवादी घुसपैठ को बढ़ाया है, बल्कि वे बेशर्मी और दादागीरी के साथ ऐसा कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति की एक धमकी के बाद कोविड *19* के उपचार में उपयोगी मानी जाने वाली एक दवा के निर्यात पर प्रतिबंध को रद्द करने का हालिया निर्णय, आरएसएस-भाजपा शासकों की साम्राज्यवाद की अधीनता का केवल एक और सबूत है। यह बेशर्मी और ढिठाई लोगों के सामने नहीं लायी जाती है, इसका एक ही कारण है मुख्यधारा की मीडिया पर कारपोरेट का नियंत्रण। साम्राज्यवादी शक्तियों की सेवा करना शासकों के लिए सम्मान का बिल्ला बन गया है!

जलियांवाला बाग देश के लोगों की एकता का प्रतीक है, जिनमें विभिन्न धार्मिक प्रेरणाओं के लोग शामिल हैं। आरएसएस-भाजपा इस एकता को पूरी तरह से और गहराई के साथ नष्ट करने के लिए सब कुछ कर रही है। उनकी सीएए-एनआरसी-एनपीआर परियोजना संविधान से धर्मनिरपेक्षता को हटाने और धार्मिक राष्ट्र के सिद्धांत को उसके स्थान पर स्थापित करने के लिए है।

जलियांवाला बाग के शहीदों के लिए आरएसएस-भाजपा शासकों के श्रद्धांजलि के एक दिखावा मात्र हैं जो जलियांवाला बाग के शहीदों के आदर्शों को खंजर से छलनी करने की उनकी करतूतों को छिपाने के लिए हैं।

आरएसएस-भाजपा का हिंदू राष्ट्र उन सभी मूल्यों की अस्वीकृति का प्रतिनिधित्व करता है जिन पर जलियांवाला बाग के शहीद खड़े थे। इस *13* अप्रैल को हम जलियांवाला बाग के अमर शहीदों द्वारा जिस भारत का सपना देखा गया था, जिन आदर्शों के लिए उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया, उनके लिए जनता के संघर्ष आगे बढ़ाने का संकल्प लें। स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्शों के विपरीत अभिजात वर्ग के चल रहे शासन को उखाड़ फेंकने के लिए एवं नवजनवादी भारत के निर्माण के लिए हमें जलियांवाला बाग के शहीदों से प्रेरणा लेकर संघर्ष की राह पर निडरता से चलना चाहिए।

सीपीआई (एमएल) - न्यू डेमोक्रेसी

13 अप्रैल, *2020*

महामारी के बहाने मजदूरों के अधिकारों पर एक बड़ा हमला

आधुनिक भारत के इतिहास में देश के करोड़ों मजदूर भयानक त्रासदी से विवश होकर व्यापक पैमाने पर पलायन के लिए मजबूर हुए हैं। वे महानगरों से खाली हाथ, भूखे पेट, बेकारी व बदहाली के आलम में सड़कों व रेल पटरियों से किसी भी कीमत पर 'अपने वतन' लौटने की जद्दोजहद कर रहे हैं। *7* दशक पूर्व हुए बंटवारे के बाद का यह सबसे बड़े पलायन का मंजर है। केंद्र व राज्यों में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ-भाजपा की सरकारों ने कोरोना महामारी की आड़ में देश के करोड़ों मेहनतकश कामगारों को देसी-विदेशी कंपनियों का बंधुआ मजदूर बना देने के लिए श्रम कानूनों को ही समाप्त कर दिया है। इसमें संघ-भाजपा ही नहीं, बल्कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों द्वारा शासित सरकारें भी शामिल हैं, जिन्होंने मजदूरों को उद्योगपतियों का गुलाम बनाने का आपराधिक षड्यंत्र किया हैं। इसमें सबसे आगे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, उड़ीसा, गोवा और पंजाब की सरकारें हैं।

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने *38* श्रम कानूनों को *3* वर्षो के लिए पूरी तरह स्थगित कर दिया है। हिंदू हृदय सम्राट के नए अवतार बने योगी की सरकार ने काम के घंटे *12* और *1* सप्ताह में *72* घंटे के काम की लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें समान काम के लिए समान वेतन कानून भी स्थगित रहेगा, जिसमें एक ही काम के लिए महिला व पुरुषों का वेतन समान दिए जाने का नियम भी शामिल था। इसमें *8* घंटे के बाद के *4* घंटे के काम के लिए दुगनी दर पर वेतन श्रमिक को दिये जाने की बात है, लेकिन अभी जब नौकरियों व वेतन में कटौती हो रही हो तो *4* घंटे के लिये इस दर पर करने का आदेश हास्यास्पद है और यह बात बंधुआ बना दिये गए मजदूरों की आंख में धूल झोंकने जैसी है। कांग्रेस शासित राज्यों राजस्थान व पंजाब ने भी इसका अनुसरण किया है। बल्कि बीते मई दिवस पर न्यूनतम मजदूरी में *10-11* रुपये की मामूली व द्धि करने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वेतन व द्धि का यह प्रस्ताव भी वापस ले लिया है। देश के *10* राज्य सरकारों ने श्रम कानूनों को समाप्त करने के पीछे यह दलील दी है कि इससे उद्योगों में विदेशी निवेश बढ़ेगा। वहीं सरकार का चाटुकार मीडिया जोर शोर से कोरोना से निपटने के लिए राज्यों के इन मजदूर विरोधी कदमों और काम के घंटे *8* से बढ़ाकर *12* करने ने को श्रम कानूनों में सुधार बता रहा है।

यूपी की भाजपा सरकार ने जिन कानूनों में बदलाव किया है उसमें देश के संविधान के तहत श्रम समवर्ती सूची का भी विषय है। इसलिए राज्य को कानून बनाने से पहले केंद्र की मंजूरी लेनी पड़ेगी। हालांकि इसमें कोई अड़चन नहीं है, क्योंकि केंद्र में भी संघ व भाजपा की मोदी सरकार है, जो *4* श्रम कोड बना रही है। यूपी में स्थाई श्रम कानूनों से छूट अध्यादेश *2020* को भी मंजूरी दी गई है ताकि *3* श्रम कानूनों और एक अधिनियम के प्रावधान को छोड़कर अन्य श्रम कानूनों से कारखानों, व्यवसाय, प्रतिष्ठानों और उद्योगों को *3* साल तक छूट दी जा सके। भवन निर्माण श्रमिक अधिनियम *1996*, कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम *1923*, बंधुआ श्रम प्रणाली उन्मूलन अधिनियम और मजदूरी भुगतान अधिनियम की धारा *5* अर्थात समय पर मजदूर को मजदूरी प्राप्त करने का अधिकार जैसे कानून ही बचे हैं. शेष अन्य निष्प्रभावी कर दिए गए हैं। स्थगित कानूनों में औद्योगिक विवादों को निपटाने, व्यावसायिक सुरक्षा, श्रमिकों के स्वास्थ्य, काम करने की स्थिति, वातावरण, ट्रेड यूनियनों, कान्ट्रैक्ट वर्कर से संबंधित कानून *3* साल के लिए स्थगित कर दिए गए हैं।

मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार ने भी कुछ श्रम कानूनों को छोड़कर शेष सभी को समाप्त कर दिया है। एमपी ने श्रम सुधारों के नाम पर मजदूर विरोधी अपने फैसले में कहा है कि इससे अफसरशाही खत्म होगी। अर्थात अब श्रमिक श्रम विभाग में अपनी शिकायतें नहीं कर सकेगा। स्टार्टअप उद्योग के लिए केवल एक बार रजिस्ट्रेशन कराने, कारखाना रिनुअल प्रतिवर्ष के बजाय *10* वर्ष पर करने, कान्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के तहत कैलेंडर वर्ष की जगह अब लाइसेंस पूरी ठेका अवधि के लिए देने, *100* से कम श्रमिकों के साथ काम करने वाली इकाइयों को औद्योगिक नियोजन अधिनियम के प्रावधान से मुक्ति अर्थात लघु एवं मध्यम उद्योग अब अपनी जरूरत के मुताबिक कामगार रख सकेंगे। ट्रेड यूनियन व कारखाना प्रबंधन के बीच विवाद निपटारा सुविधानुसार कंपनी में होगा। अब उसके लिए लेबर कोर्ट जाने का अधिकार नहीं होगा। *50* कर्मचारियों वाली कंपनी में लेबर इंस्पेक्टर की जांच का प्रावधान खत्म कर दिया गया है। कंपनियों में जांच शिकायत दर्ज किए जाने पर केवल लेबर कमिश्नर की मंजूरी से ही होगी। इस तरह श्रमिक अपने शोषण उत्पीड़न संबंधी मामले अब कहीं नहीं उठा सकेंगे। मध्यप्रदेश में श्रमिकों व कर्मचारियों को अपनी शर्तो पर नौकरी या ठेके पर रखने की और निकाल देने की भी छूट दी गई है। नई फैक्ट्रियों को श्रम विभाग के इंस्पेक्शन, सालाना रिटर्न भरने और राज्य श्रम कल्याण बोर्ड में योगदान देने से भी छूट मिल गई है। यहां यह उल्लेखनीय है कि राज्य श्रम कल्याण बोर्ड में जमा पैसा

श्रमिकों के कल्याण पर खर्च होता है, जो अभी लगभग 36 हजार करोड़ रुपए है। मध्यप्रदेश में 20 से कम कर्मचारियों को रखने वाले ठेकेदारों को पंजीकरण से भी छूट दे दी गई है। फैक्ट्री मालिकों को कर्मचारियों को कार्यस्थल पर रोशनी, वेंटिलेशन, शौचालय, बैठने की व्यवस्था, फर्स्ट एड की व्यवस्था व साप्ताहिक अवकाश जैसी न्यूनतम सुविधाएं भी देना अनिवार्य नहीं होगा।

गुजरात में काम के घंटे 8 से बढ़ाकर 12 करने का नियम साढ़े 3 वर्ष के लिए किया गया है। इसके अलावा अन्य राज्यों ने भी काम के घंटे बढ़ाने व कुछ अन्य श्रमिक अधिकारों का खात्मा किया है। यहां राज्य सरकारों की यह दलील कि कोरोना संकट के बाद औद्योगिक उत्पादन तेज होगा, खोखली साबित होती है। अगर देश में रोजगार के सवाल को हल करना है, तो अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देने की जरूरत है और यह तभी संभव है जब श्रमिकों से तीन से चार पाली अर्थात 4 या 6 घंटे की शिफ्ट का प्रावधान किया जाए। इसके विपरीत काम के घंटे 8 से बढ़ाकर 12 किए गए हैं। इसमें यह भी उल्लेखनीय है कि 8 घंटे के बाद 4 घंटे के ओवर टाइम में पूरे 8 घंटे का वेतन देने का प्रावधान पहले से था, लेकिन देश में बहुत ही कम उद्योगों ने ऐसा किया है। अधिकांशतः श्रमिकों को कोई भुगतान नहीं दिया जाता या दिया भी जाता है, तो वह घंटे के हिसाब से होता रहा है। इसके अलावा महाराष्ट्र ओडिशा, असम और गोवा ने भी श्रम कानूनों में बदलाव किए हैं और सभी राज्यों ने काम के घंटे 12 किये हैं।

सबसे बड़ा बदलाव यूपी व एमपी की सरकारों ने किया है। सरकार की यह दलील कि इससे उद्योगों का विकास होगा, निवेश बढ़ेगा और नए रोजगार पैदा होंगे, पूरी तरह लचर है। ये सरकारें पूरी तरह से उद्योगपतियों के पक्ष में खड़ी दिखाई देती हैं। उद्योगों खासकर तौर पर लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योगों को रियायती दरों पर कर्ज दिया जाता है, जिसकी गारंटर स्वयं सरकार होती है। जनता के इस पैसे को यदि उद्योग नहीं लौटा सका, तो वह एनपीए और फिर बट्टे खाते में डाल दिया जाता है। आर्थिक मंदी में वास्तव में छोटे उद्योगों को आर्थिक मदद की जरूरत है, पर यह मदद बिजली बिल की माफी, आसान शर्तो पर ऋण, सरकार द्वारा वेतन का भुगतान आदि के रूप में हो सकता है, लेकिन यह मजदूरों को बंधुआ बना देने की शर्त पर नहीं होना चाहिए। मध्यप्रदेश में वह श्रम कानून समाप्त किए गए हैं, जिससे एक श्रमिक को ईएसआई, पीएफ, बोनस आदि लागू कराने व नौकरी के नियमितीकरण के लिए कानून के इस्तेमाल का अधिकार है। अब 3 वर्षो के लिए यह अधिकार समाप्त हो गए हैं।

हिंदुस्तान का मजदूर कठिन व त्रासद दौर से गुजर रहा है जैसा इन दिनों वह दिखाई दे रहा है। सरकारों व चाटुकार मीडिया ने भूखे, प्यासे, बदहाल कामगारों की ओर पूर्णतः उपेक्षापूर्ण रवैया अपनाया हुआ है तथा इन कामगारों की बदहाली और बेबसी के प्रति जरा भी सहानूभूतिपूर्ण रवैया नहीं अपनाया। इन कामगारों के पलायन की भयावह तथा दर्दनाक तस्वीरें तथा कहानियां शुरूआत में सोशल मीडिया के जरिये लोगों तक पहुंची।

इस महामारी की आड़ में केंद्र व राज्य सरकारें श्रमिकों के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र के तहत श्रम कानूनों को समाप्त कर रही हैं। राज्य सरकारों ने ऐसे श्रम कानून भी समाप्त किए हैं, जो संविधान के मौलिक अधिकारों व नीति निर्देशक तत्व में शामिल हैं। अदालतें भी हाल के दशकों में श्रमिक विरोधी रही हैं। ऐसे में वहां से भी राहत की उम्मीद नहीं के बराबर है। श्रमिकों को इस स्थिति में खड़ा कर देना एक बड़ा अपराधिक षड्यंत्र है, जिसके खिलाफ उनके सामने संघर्ष के अलावा और कोई रास्ता नहीं है।

उत्तर प्रदेश के मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कैबिनेट के फैसले के बाद कहा कि वह कई अमेरिकी कंपनियों से बात कर चुके हैं और वह भारत में आने के लिए इच्छुक हैं। ही नहीं केंद्रीय लघु, सूक्ष्म व मध्यम उद्योग मंत्री और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी लाकडाउन के दौरान लगातार औद्योगिक समूहों व उनके संगठनों से बैठकें करके उन्हें बताते रहे हैं कि चीन से दुनिया भर की विदेशी कंपनियां अब बाहर निकल रही हैं और यह भारत के लिए स्वर्णिम अवसर है। सरकारों को लगता है कि देश के कामगारों को विदेशी कंपनियों के समक्ष बंधुआ मजदूर बनाकर पेश कर देने से विदेशी निवेश आएगा, लेकिन यह मुंगेरीलाल के हसीन सपने जैसा है।

6 मजदूर संगठनों - आईएफटीयू, एनटीयूआई, टीयूसीआई, एआईएफटीयू (न्यू), एनडीएलएफ व इसीएलटीएसएयू ने एक संयुक्त बयान में सरकारों द्वारा महामारी की आड़ में श्रम अधिकारों पर हमले की निंदा की है तथा इसे सरकार द्वारा पूंजीपतियों की सेवा बताया है। संगठनों ने राष्ट्रपति से इन संशोधनों को अस्वीकार करने को है। यूनियनों ने मजदूरों का आवाहन किया है कि श्रम कानूनों में इन बदलावों के खिलाफ एक व्यापक तथा दृढ़ संघर्ष छेड़ें। यूनियनों ने इस संघर्ष में मजदूरों की वृहत एकता का आवाहन किया है।

Pratirodh Ka Swar, Hindi Organ of CPI(ML)-New Democracy Website : cpimlnd.org
प्रकाशक, मुद्रक व स्वामी यतेन्द्र कुमार द्वारा स्टार ऑफसेट, टी-2151/8-ए-2, न्यू पटेल नगर, नई दिल्ली-110008 से मुद्रित व बालमुकन्द खण्ड, गिरी नगर, नई दिल्ली-110019 से प्रकाशित। सम्पादक : यतेन्द्र कुमार